कामकाजी महिला

वर्ष 3 अंक 6 अगस्त, 1991 मूल्य : 2 रु०

का० विमल रणदिवे बिहार में आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ के प्रथम राज्यस्तरीय कन्वेन्शन को सम्बोधित करते हुए।

दसवीं लोकसभा के चुनाव परिणाम

दसवीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् हमें एक बार फिर शंकु संसद का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस ने 227 सीटें जीती जबकि भाजपा-शिवसेना गठबंधन ने 119 सीटें जीतीं। राष्ट्रीय मोर्चा और वामपथी पार्टियों का तीसरा गठबंधन वास्तव में, 129 सीटें जीत कर कांग्रेस (आइ) के बाद दूसरे नम्बर पर आया है। अकेली सी. पी. आइ-(एम) ने ही 35 सीटें जीत ली हैं। 21 मई को तमिलनाडु में श्रीपेरुम्बदूर में तथाकथित एल. टी. टी. ई. द्वारा श्री राजीव गांधी की हत्या ने लोगों, राजनीतिक पार्टियों और जन संगठनों में सचमुच उथल-पुथल-सी मचा दी। उन्होंने श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या की भर्त्सना की, हड़तालें कीं और शोक सभाएं कीं और निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव जून 1991 तक मुल्तवी करने की घोषणा कर दी।

सी.पी.आइ.(एम) और जन-संगठनों पर हमले

पिछले 5 महीनों में, कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी हैं। 20 मई के चुनाव का पहला दौर तो कुछ शांतिपूर्ण था। परन्तु चुनाव के दूसरे दौर में और उसके पश्चात् कत्ल, घरों को आग लगाने, महिलाओं से छेड़-छाड़ सी.पी.आइ.(एम) व वामपंथी समर्थकों और नेताओं की जायदाद नष्ट करने की घटनाएं हुई हैं।

यह कितनी बुरी बात है कि कांग्रेस (आइ) के नेता की दुःखद मृत्यु को विरोधी पार्टियों और उनके नेताओं व कार्यकर्ताओं पर, विशेषकर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में हमलों का बहाना बनाया गया और कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और न ही इन गुंडों को ऐसी बदतमीजी करने से रोका। सी.पी.आइ.(एम) की बहुत-सी महिला सदस्यों पर हमले किये गये। विशेषकर त्रिपुरा में, अगरतला शहर में ऐसे हमले किये गये। उनके घर जलाये गये। पार्टी-आफिस और प्रेस नष्ट किये गये। आंध्र प्रदेश में भी जब श्री एन.

इस अंक में

दसवीं लोकसभा के चुनाव परिणाम	2
त्रिपुरा में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोको	5
मध्यप्रदेश में कामगार महिलाओं के आंदोलन में प्रगति	6
पश्चिम बंगाल के चुनाव अभियान में महिलाओं की भागीदारी	7
29 जून को दिल्ली में हुई ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की मीटिंग में भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार	8
बी. एच. ई. एल. (दिल्ली) के प्रबंधन को महिला कर्मचारियों की मांगें अस्वीकार	10
सी. डी. पी. ओ. आफिस पर जबर्दस्त प्रदर्शन	11
दहेज हत्या में जज शामिल	12
ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. को रुपये के अवमूल्यन के के निर्णय से गंभीर चिंता	12
मजदूर महिलाओं की तीसरी अखिल कांग्रेस के बाद त्रिपुरा राज्य समिति की कार्य रिपोर्ट	13
संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस	14
'बीड़ी' में लगी महिलाएं सुविधाओं से वंचित	15
महिलाओं का स्थान संघर्ष के जंगी मोर्चे पर···	16
बिहार राज्य स्तरीय कोआर्डिनेशन समिति का गठन	17
सांसद ने आंगनवाड़ी महिलाओं का सवाल उठाया	18
आंगनवाड़ी प्रतिनिधिमंडल की महिला व बाल-कल्याण राज्यमंत्री से भेंट	19
महिला और कानून—विवाह की आयु	20
समान मेहनताने के बारे में आई. एल. ओ. की कन्वेंशन पर सीटू की टिप्पणी	23

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

टी. रामाराव ने अनशन किया तो बड़े पैमाने पर बरबादी की गई। राजीव की हत्या के कारण पैदा हुई सहानुभूति का प्रयोग वोट लेने के लिए किया जाना था। पर इससे उन्हें इतना लाभ नहीं मिला जितनी पार्टी को उम्मीद थी। क्योंकि इन घटनाओं के बावजूद कांग्रेस को 220 से अधिक सीटें नहीं मिल सकीं।

भाजपा का आना—एक गम्भीर चिन्ता

कांग्रेस का मुख्य नारा 'देश के लिए स्थिर सरकार' का था जिसे राजीव गांधी की हत्या के पश्चात् भाजपा ने अपना लिया। भाजपा-शिवसेना गठजोड़ ने अयोध्या राम-जन्मभूमि के लिए क्या नहीं किया? चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जगह-जगह पर दंगे हुए। 'शिलान्यास' और 'रथ-यात्रा' के जुलूस निकाल कर साम्प्रदायिकता को हवा दी। भाजपा का जोर खतरनाक हद तक बढ़ा है। उसका संसद में दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आना और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार बनाना एक गम्भीर चिन्ता की बात है यद्यपि मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में उसे बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा। जनतादल, जो राष्ट्रीय मोर्चे का एक बड़ा हिस्सा है, बिहार में तो उभर कर आया परन्तु उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में इसका काम संतोषजनक नहीं था।

राष्ट्रीय मोर्चे—वामपंथी पार्टियों के 'कांग्रेस हराओ' भाजपा हराओ' के नारे से पंजाब के चुनाव को देश के शेष राज्यों के चुनावों से अलग रखने का मुद्दा उठा। पंजाब में 22 उम्मीदवारों और बहुत से राजनीतिक-वर्करों की मृत्यु हो जाने पर मुख्य निर्वाचन-आयुक्त ने यहां के चुनावों को 25 सितम्बर तक रद्द कर दिया। त्रिपुरा में सी. पी. आई. (एम) ने चुनाव में भाग न लेने का निश्चय किया क्योंकि वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं को रोका नहीं गया। कई अपीलों के बावजूद त्रिपुरा में चुनाव थोप दिया गया। चुनाव आयुक्त का रुख पक्षपात का था।

वामपंथी मोर्चे की जीत

हमें गर्व है कि इस बार फिर, विधान सभा चुनाव में वामपंथी मोर्चे ने प० बंगाल में चौथी बार सत्ता संभाली है। बुर्जवा प्रेस ने भी इस तथ्य को सराहा है। केरल के परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। सचमुच इससे हम कुछ पीछे गये हैं। लोगों को ऐसी आशा न थी। एल. डी. एफ. और यू. डी. एफ. के बीच वोटों का अन्तर तो केवल 2 से 3 प्रतिशत ही था, परन्तु ऐसा लगता है कि सहानुभूति लहर और भाजपा के वोट कांग्रेस (आई) को मिल जाने से केरल चुनाव में बहुत फर्क पड़ गया।

एक शंकु संसद बन जाने से, जिसमें कांग्रेस के 227 सांसद और भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाकर 119 के लगभग सांसद आए हैं, स्थिति बहुत कठिन और जटिल हो गयी है। परन्तु इस बात को भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय मोर्चे—वामपंथी पार्टियों का गठबंधन 129 सीटें लेकर दूसरे नम्बर की ताक़त है और यदि वह एक-जुट होकर, सांझे मुद्दों को लेकर, जो हमारे देश के सम्मुख हैं, काम करें तो हम आगे बढ़ सकेंगे और जनता की मांगों को लेकर लड़ सकेंगे।

दसवीं लोकसभा में महिलाओं की भूमिका

यहां प्राप्त हुई प्रारंभिक रिपोर्टों से लगता है कि महिलाओं ने इन चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने नुक्कड़ सभाएं कीं, बैठक-सभाएं कीं, सांस्कृतिक जत्थों में काम किया, प्रातःकाल से लेकर रात तक घर-घर जाकर अभियान चलाया, सभाओं में जाकर भाषण दिये इत्यादि। कानपुर, जहां से हमारी उम्मीदवार का० सुभाषिणी खड़ी थीं, के चुनाव के बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है। ए. आई. डी डब्ल्यू. ए. दिल्ली की ओर से एक विशेष महिला-जत्था चुनाव-प्रचार के लिए वहां गया, उन्हें वहां कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन पर हमले किये गये गालियां दी गयीं और गंदी भाषा का प्रयोग किया गया। कर्फ्यू और दंगों के कारण कई क्षेत्रों में उन्हें जाने ही नहीं दिया गया। इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हिम्मत और हौंसले से वहां पर काम किया है। हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध भाजपा का प्रचार गंदा और विषैला था।

बंगाल और केरल में महिलाएं घर-घर जाकर चुनाव अभियान कर रही थीं। राजीव गांधी की हत्या के पश्चात् यह एक कठिन कार्य था पर वे यह कर रहीं थीं। उन्होंने अपनी सभाओं में शोक-प्रस्ताव रखे और दुःख प्रकट किया। कुछ दिनों के बाद वे फिर गयीं जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिला कि वे निर्भय होकर उनके अधिकारों की रक्षा करने वालों और साम्प्रदायिकता, मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध तथा दूसरे आर्थिक मुद्दों के लिए लड़ने वालों को वोट दें। सुशीला

गोपालन की रिपोर्ट के अनुसार, "राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके क्षेत्र मे महिलाएं कुछ भी कहने को तैयार नहीं थीं और रो रही थी परन्तु हमारे सही सम्पर्क से और विचार-विमर्श करने से उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें वोट दिये।

यह उनके ममलों को लेकर निरंतर काम करने का ही फल था कि ऐसे सदमे के बाद भी वे हमारी बात मान गयीं। बंगाल में, यह सराहनीय योग है कि वामपंथी मोर्चे ने विधान-सभा के लिए 21 महिलाएं खड़ी कीं जिनमें अधिकतर बहुत अच्छे अन्तर से जीती हैं। केरल समेत सभी जगह 'सामाजिक जात पांत' चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार यह अजीब बात सामने आई है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच काम करते समय, घरों से पीने का पानी भी एक विवाद का विषय था!

यदि हमारी महिला कामरेड अनुसूचित जाति के घरों से पानी पीने को तैयार हैं तो दूसरे स्वर्ण जाति के लोग इस बात को जान जाने पर हमारे विरुद्ध हो जायेंगे और भाजपा या दूसरी पार्टियों को वोट देंगे। इससे अनुसूचित जाति और स्वर्ण जाति के बीच वर्षों से चली आ रही निहित घृणा का पता चलता है महिला कामरेड के जोर देने पर भी, अनुसूचित जाति के लोग, स्वर्ण जाति के डर से उन्हें पानी पिलाने को तैयार नहीं थे। इससे वहां के नर-नारियों में जातपात की इन्तहा का पता चलता है। और यह भी कि इन लोगों के बीच सामाजिक न्याय के लिए हमें कितना ठोस काम करना होगा। स्वर्ण जाति के हिन्दुओं द्वारा उनकी उपेक्षा की गई है, कितना अपमान हुआ है और उन्हें कैसे अलग थलग रखा गया है। बिहार के परिणामों से पता चलता है कि जनता ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय मोर्चे-वामपथी मोर्चे के गठ-बंधन को वोट दिया और वे जीते हैं।

महिला आन्दोलन की उपलब्धियां

हमारे आन्दोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं—

चुनाव में का. सुशीला गोपालन, मालिनी भट्टाचार्य की जीत और उनकी जीत जो बंगाल व केरल की विधान सभाओं में जीती हैं। इस बार हमारे कामरेड के लिए संसदीय कार्य कठिन होने जा रहा है। भाजपा-शिव सेना जैसी सांप्रदायिक पार्टियों और कांग्रेस पार्टी हमारे लिये कई मुश्किलें खड़ी करेगी।

परन्तु जन-आन्दोलनों में का. सुशीला गोपालन का लम्बा अनुभव, महिलाओं तथा कामगार महिलाओं की समस्याओं को उठाने में और विदेश-नीति, मूल्यवृद्धि, अयोध्या मन्दिर निर्माण, पंजाब, त्रिपुरा इत्यादि कई संसद में उठाये जाने वाले मुद्दों के बारे में, हमारे काम आयेगा। वह लोकसभा में सी पी आई (एम) ग्रुप की उपनेता चुनी गयी हैं। हम संसद में और विधान सभा में, सी पी आइ (एम) और दूसरी वामपंथी पार्टियों के प्लेटफार्म से चुनी गई महिला-सदस्यों को बधाई देते हैं।

हमारे सम्मुख कार्य

राष्ट्रीय मार्चे-वामपंथी पार्टियों ने और जन संगठनों ने, जिसमें सीटू, महिला मजदूरों की समन्वय समिति, ए आइ डी डब्ल्यू ए और दूसरे संगठन शामिल हैं, सदा ही साम्प्रदायिकता का विरोध करने के लिए और राष्ट्र की एकता और अखडता को खतरे में डालने वाली भाजपा के रोल को बेनकाब करने के लिए, कार्यक्रम रखा है। चूंकि भाजपा एक बड़ी ताकत बनकर संसद में आई है और इसने उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई है हमें इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा। पहले ही केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार 'राम मन्दिर' और इसके परिणामों के बारे बातचीत कर रही है। हमने सदा ही कहा कि इसका निर्णय इस मामले से संबंधित पार्टियों की बातचीत द्वारा होना चाहिए या फिर न्यायालय में। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ी जा रही है और विश्व हिन्दू परिषद ने नारा दिया है कि वह मन्दिर वहीं बनायेगी जबकि अल्प संख्यक समुदाय इसके विरोध में उतर आया है। धर्मनिरपेक्ष पुरुष और महिलायें जनता की एकता के लिए चिन्तित हैं। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में हमारे आगे यह कार्य होगा कि साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखा जाय और भाजपा, विहिप और दूसरी सांप्रदायिक पार्टियों और उनके संगठनों को अलग-थलग किया जाए। हमें ध्यान रखना होगा कि आम महिलाओं पर साम्प्रदायिक प्रचार का प्रभाव अधिक आसानी से पड़ जाता है। चूंकि आज की यह सामाजिक व्यवस्था सामंतवादी और सुधार-विरोधी विचारधारा पर टिकी है और धर्म राजनीति में घुस आया है भाजपा और दूसरी धार्मिक संस्थाए अपनी राजनीति के लिए, महिलाओं को अपने हक में ले जाने का यत्न कर रही हैं।

हमारा पहला काम होगा कि ऐसे प्रचार से निपटने के लिए कार्यक्रम बनायें।

राष्ट्रीय मोर्चे व वामपंथी पार्टियों ने बेरोजगारी, काम का अधिकार, मूल्य वृद्धि, असंगठित मजदूरों का मामला इत्यादि मुद्दे उठाये। इसने महिलाओं के लिए काम व पंचायत में आरक्षण, भूमि जोतने वाले को मिले जैसे मामले भी उठाये। यह सब मामले हम सब के लिए जिन्दा मामले हैं। पुरुषों और महिलाओं की जगह टेक्नालोजी और यंत्रीकरण के प्रयोग का प्रश्न उठाया गया और इसके बारे में प्रचार किया गया। प. बंगाल के चुनाव परिणामों में जीत के कारण, प. बंगाल और केरल सरकार द्वारा भूमि-वितरण, सार्वजनिक वितरण पद्धति, पंचायतों के परिणाम और इनमें महिलाओं की भागीदारी हमारी उपलब्धियां रहीं। यही मुद्दे केरल जिला काउंसिल के चुनाव में भी उठाये गये जिनका अच्छा नतीजा निकला। यद्यपि स्वर्ण जाति की ओर से मंडल आयोग के विरुद्ध भावनायें प्रकट की गयीं पर हमने कुछ तब्दीलियों का सुझाव देते हुए सदा ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रति न्याय करने की बात कही है। यह सभी मुद्दे अभी जिन्दा हैं और हमें आगे बढ़कर इन्हें उठाना होगा।

आज के गहरे आर्थिक संकट का, आइ एम एफ कर्जे का, और पहले से बिगड़ी हालत में किए गये तीन दिन में दो बार के अवमूल्यन का साधारण पुरुषों महिलाओं पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ना लाजमी है। आइ एम एफ कर्जे की शर्तें बहुत होंगीं। उपभोक्ता वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य-वृद्धि, रेल भाड़े में वृद्धि इत्यादि से जनता की पीठ पर काफी बोझ लद जायेगा। पहले ही मजदूरों आम जनता व सीटू ने और वामपंथी पार्टियों ने इन हमलों को रोकने के लिए आह्वान किया है। मजदूर महिलाओं को भी पीछे नहीं रहना चाहिये। बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि, बदतर होती जा रही परिस्थितियां मजदूर महिलाओं को मजबूर करेंगी कि वे अपने नियोक्ताओं और कांग्रेस सरकार के विरुद्ध वर्ग-संघर्ष करें। सीटू और हमारी समन्वय समिति को इन संघर्षों का नेतृत्व करना होगा ताकि जनता के इन भागों को समस्त मजदूर वर्ग के वर्ग-युद्ध में उतारा जा सके जो निकट भविष्य में वर्ग-शक्तियों के आपसी सम्बंध को बदल देने के लिए प्रयत्नशील है।

त्रिपुरा में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोको

सेवा में, दि० 30-7-91

प्रधान मंत्री,

भारत सरकार, नई दिल्ली

प्रिय प्रधान मंत्री,

हम यहां आपके विचारार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए, राष्ट्रीय महिलाओं के संगठनों (जिसमें एक अराजनीतिक स्वतन्त्र अनुसंधान-संस्थान के प्रतिनिधि भी हैं), एक व्यावसायिक वकील, एक सांसद और अखिल भारतीय जनवादी महिला ऐसोसियेशन की नेता, भारतीय महिला राष्ट्रीय फेडरेशन और महिला दक्षिता समिति द्वारा आयोजित तथा जांच पड़ताल के लिए बनी समिति की रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं, जिसमें अक्तूबर 1990 तक त्रिपुरा में महिलाओं पर हुए अत्याचारों का विवरण दिया गया है। यह रिपोर्ट 1990 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई थी और पूर्ववर्ती प्रधान मंत्री को जनवरी 1991 में।

हमें दुःख है कि हमारी तजवीजों और अपीलों का कोई असर नहीं हुआ और भारत सरकार ने इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

हाल ही में, त्रिपुरा में, अपने साथियों से महिलाओं पर अब भी हो रहे अत्याचारों के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। हम आप से यह आशा लिए अपील करती हैं कि आप हमारे कहे अनुसार न्यायिक जांच का आदेश देकर इस बारे में कम से कम अंतःक्षेप की कार्रवाई शुरू तो करें।

प्रधानमंत्री जी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहती हैं कि हमने अपने ऊपर काफ़ी संयम रखकर यह रिपोर्ट लिखी है!

बहुत ही क्रूर और अमानवीय व्यवहारों के बारे में पीड़ितों द्वारा वर्णन को रिकार्ड करते समय हमने अपने मन में आये क्रोध और घृणा पर यथा-सम्भव निर्णय रखा है। हमारा यह संयम जान-बूझकर था ताकि तथ्यों पर ही ध्यान जाये। हमने मुख्य मंत्री तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक से भेंट की। परन्तु हमारी जानकारी का मुख्य आधार था स्वयं पीड़ित या उनके बच्चों समेत

[शेष पृष्ठ 6 पर]

मध्यप्रदेश में कामगार महिलाओं के आंदोलन में प्रगति

संध्या शैली

मध्यप्रदेश में कामगार महिलाओं के बीच मजदूर/कर्मचारी आंदोलन आज तक गति नहीं पकड़ पाया है। दिसंबर में हुए राज्य सम्मेलन में इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयों की जानकारी फरवरी 91 में हुए अखिल भारतीय कामगार महिला सम्मेलन में दी गई थी।

ये फैसले इस दिशा में लिए गए ठोस फैसले थे। जैसे राज्य में कामगार महिलाओं का आंदोलन कुछ केंद्रों में विशेष रूप से विकसित करना कामगार महिलाओं की यूनियन में सदस्यता की ओर विशेष ध्यान देना और हर सीटू राज्य सेक्रेटेरियट की मीटिंग में कामगार महिलाओं के मुद्दे को स्थायी एजेंडे के रूप में शामिल करना।

इन फैसलों पर क्रियान्वयन राज्य सम्मेलन के बाद देश में तेजी से घटे घटनाक्रम के कारण संभव नहीं हो सका।

26-27 जुलाई को, राज्य सम्मेलन के बाद पहली बार सीटू राज्य समिति की बैठक हुई। इसमें राज्य सम्मेलन में लिए गए फैसलों का जायजा लिया गया।

राज्य सम्मेलन के बाद स्थापित हुए नये संपर्कों में रायगढ़ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने यद्यपि बेहद कम सख्या में किंतु दिल्ली में चार मार्च को हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रैली में शिरकत की।

राज्य में इन महिलाओं के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करनेवाली महिलाएं अच्छी संख्या में हमारे संपर्क में हैं। उदाहरणार्थ नागदा (नगर निगम), भोपाल (गैस पीड़ित महिला उद्योग कर्मचारी संगठन) इंदौर (दवा उद्योग, शिक्षिका, पी डब्लू डी,) शहडोल (नर्सिंग स्टाफ) स्टील (भिलाई नर्सेज), बिलासपुर (कोयला क्षेत्र), कोयला में गोटा मेकर्स खासतौर से। इनके अतिरिक्त गुना, श्योपुर, बस्तर, रायगढ़ की आंगनवाड़ी कार्यकर्तायें और ग्वालियर में पी एच ई, पी डब्लू डी कर्मचारी व छोटे कारखानों की मजदूर शामिल हैं।

अभी हम इन महिलाओं में कोई स्थायी संपर्क या सांगठनिक ढांचा तैयार नहीं कर पाए हैं।

इस पृष्ठभूमि में सीटू की राज्य समिति की बैठक ने आज ही निम्नानुसार निर्णय लिए हैं:

1. अगस्त के अंतिम सप्ताह में सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ सम्मेलन किए जायें जिनमें महिला कामगार महिलाओं की उपस्थिति व भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाये।

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक राज्य स्तरीय यूनियन गठित की जाये और रजिस्टर्ड कराई जाये।

3. राज्य स्तरीय कामगार महिलाओं की समन्वय समिति के गठन के लिए केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में 10 सितंबर को भोपाल में एक कन्वेंशन किया जाये।

हमें आशा है कि उपरोक्त निर्णयों से निकट भविष्य में आंदोलन को तेजी से विकसित करने की शुरूआत हो सकेगी।

[पृष्ठ 5 का शेष]

परिवार—जिन्होंने स्वयं सामूहिक बलात्कार देखे थे और तत्पश्चात् अपनी माताओं की हत्याएं होती देखी थीं।

अभी-अभी हाल ही में हुए अत्याचारों के मामले में, जिसमें जिला धर्मनगर के गच्छीरमपारा की घटना भी जहां पुलिस वालों ने 14 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया था, हमें जानकारी ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए. के साथियों द्वारा, स्थानीय समाचार-पत्रों द्वारा और त्रिपुरा के प्रतिनिधियों द्वारा मिली है जो दिल्ली में एक मीटिंग में आये थे। यह जानकारी अलग से संलग्नक-बी में दी गई है जो साथ में संलग्न किया गया है।

आपकी

सुशीला गोपालन — ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए.
वीना मजूमदार — सी.डब्ल्यू.डी.एस.
तारा रेड्डी — एन.एफ.आई. डब्ल्यू.
मंजू मोहन — महिला दक्षता समिति
विमल रणदिवे — ए. आइ. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू.

पश्चिम बंगाल के चुनाव अभियान में महिलाओं की भागीदारी

बनानी विश्वास

पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस (आइ) को दसवीं लोकसभा और ग्यारहवीं विधान सभा के चुनाव में बुरी तरह से पराजित किया। चौथी बार की इस वामपंथी मोर्चे की ऐतिहासिक जीत ने जनता की जनवादी आकांक्षाओं को मजबूत किया है। पश्चिम बंगाल के वामपंथी मोर्चे के उम्मीदवारों की जीत ने सबको ही प्रोत्साहित किया है। धर्मनिरपेक्ष और जनवादी विचार रखने वाली पश्चिम बंगाल की जनता की सहायता से वामपंथी मोर्चे ने 246 सीटें (85%) जीतीं जबकि कांग्रेस (आइ) और इसकी मित्र पार्टियां केवल 47 सीटें जीत पायीं। 19 महिला उम्मीदवारों में से 17 ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए. की कार्यकर्ता थी। यहां यह वर्णनीय है कि चुनाव अभियान में महिलाओं ने पूरा-पूरा हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक महिला समिति (ए.आइ.डी.डब्ल्यू. ए. की राज्य-शाखा) ने जोरदार अभियान आयोजित किये और इस महीने भर के अभियान में हजारों महिला मजदूरों को तैयार किया। कांग्रेस (आई) ने इस चुनाव को चुनौती के रूप में लिया वे चाहते थे कि चुनाव से पहले हिंसा और दंगे हों। चुनाव से जरा पहले सिद्धार्थ शंकर राय को कांग्रेस (आई) राज्य समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। वे पार्टी के चुनाव-अभियान के इचार्ज थे। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिये कि वे आतंक और हिंसा का वातावरण तैयार करें। चुनाव से पहले और बाद 100 व्यक्तियों की जानें गयीं। परन्तु यह आतंक कांग्रेस (आई) को बुरी तरह पराजित होने से नहीं बचा सका। कांग्रेस (आइ) सातवें दशक के उन काले दिनों की यादें लोगों के मन से मिटा सकने में असमर्थ रही, जिन दिनों एस. एस. राय मुख्यमंत्री थे और राज्य की जनता पर कठोर अत्याचार ढाये गये थे। भाजपा द्वारा साम्प्रदायिक ओछे नारे दिये गये। उनका मुख्य लक्ष्य था कि वे पिछड़ी जनता को, विशेषकर महिलाओं को जनवादी आन्दोलन की मुख्य धारा से मोड़कर, धार्मिक नारे-बाजी की ओर ले जायें। निर्वाचक-मंडल के आगे, उनसे समर्थन प्राप्त करने के लिए, भाजपा ने धार्मिक मुद्दों को उभारने के लिए कई प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया। यह श्रेय आम जनता को और उनकी विचार-धारा को जाता है कि भाजपा जैसी साम्प्रदायिक शक्तियां विधान-सभा मे नहीं घुस सकीं। और इसका श्रेय जाता है उन हजारों कार्यकर्ताओं और संगठनकर्ताओं को जिन्होंने राष्ट्रीय-एकता, अखण्डता, जनतंत्र और धर्मनिरपेक्ष-एकता का अनथक प्रचार किया। 20 मई पश्चिम बंगाल में ग्यारहवीं विधान-सभा के चुनाव का दिन घोषित हुआ। इस घोषणा से हमारे राज्य संगठन, पश्चिम बंग गणतांत्रिक महिला समिति चुनाव-कार्य में बहुत व्यस्त हो गयी।

हमने चनाव कार्यक्रम तैयार किया और अपनी समितियों से इस बारे एक जोरदार अभियान शुरू करने को कहा। नीचे के स्तर पर काम कर रही प्राथमिक इकाइयों ने घर-घर जाकर अभियान किया। इस अभियान में कई ग्रुप बनाये गये। कुछ ग्रुपों पर विशेष ध्यान दिया गया। एक नेता, मजदूरों का, विशेषकर महिलाओं का, ग्रुप विचार-विमर्श और कही जाने वाली बातों के बारे मार्ग-दर्शन करता। प्राथमिक स्तर के संगठन-कर्ता और कार्यकर्ता बूथ-अनुसार-अभियान के इंचार्ज थे प्राथमिक इकाई का नेता दोनों समितियों का सदस्य होता है। वोटर सूची की छानबीन करना समिति का मुख्य कार्य था। छानबीन के बाद बैठक-सभा आयोजित की जाती। अपने चुनाव अभियान में हमने बैठक-सभा पर अधिक ध्यान दिया। विचार-विमर्श के समय महिलाओं को प्रश्न पूछने के लिये प्रोत्साहित किया जाता। बहस के मुख्य विषय होते, साम्प्रदायिक-एकता, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का उत्थान, व्यापक शिक्षा, रोजगार, मूल्य-वृद्धि इत्यादि। इसी प्रकार, अपने राज्य के चुनाव अभियान को चलाने के लिए स्थानीय समितियों, जिला-समितियों के नेता वार्ड-समितियों और विधान सभा-संघटकों के इंचार्ज थे।

अपने चुनाव अभियान में हमने जन-सभायें, पाठ्य-सभाएं हाट-सभाएं और जलूस आयोजित किये। पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में हमारी समिति की कम से कम एक लाख

[शेष पृ० 9 पर]

29 जून को दिल्ली में हुई ए.आई.सी. सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू की मीटिंग में भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार

ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की मीटिंग 29 जून '91 को दिल्ली में हुई। दिन भर के विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में कमेटी ने निम्नलिखित निर्णय लिये :

तीसरी कन्वेंशन कार्यक्रम के बारे में विचार-विमर्श और इसकी घोषणा नहीं कर सकी, जैसा कि इसे चाहिये था, क्योंकि कन्वेंशन को आखिरी कुछ समय में समाप्त करने की जल्दी थी। सामान्य रूप में, हमारा यह कार्यक्रम रह सकता है। हमें इसे राज्यों में लागू करने का प्रयत्न करना चाहिये। कुछ सुझाव विचार-विमर्श के लिये नीचे दिए जा रहे हैं।

1. उन राज्यों में कन्वेंशन रखी जायें जहां हुई ही नहीं और समन्वय समितियों को गठित किया जाये। हमें हिन्दी-भाषी राज्यों, राजस्थान, बिहार, उ. प्र. म. प्र. इत्यादि को अधिक महत्व देने की कोशिश करनी चाहिये। प. बंगाल में उनके कहे अनुसार 1979 से कोई कांफ्रेंस नहीं हुई। महाराष्ट्र, आंध्र में दूसरी कन्वेंशन होनी है। हरियाणा, हि. प्र., असम में अभी कोई समिति ही नहीं बनी। सीटू और महिला मज़दूरों को प्रयास करना होगा कि यहां कुछ काम शुरू हो सके।

इस फ्रंट पर काम के लिये राज्य सीटू समिति जब तक कोई कार्यनीति नहीं बनाती, कोई प्रगति नहीं हो सकेगी। समिति पर दबाव डालने के लिए सीटू केंद्र और महिला मज़दूरों को स्वयं प्रयत्न करने होंगे।

2. हम कई वर्षों से ट्रेड यूनियन फ्रंट पर काम कर रही सक्रिय महिलाओं के लिये ट्रेड यूनियन क्लास शुरू करने की बात कह रहे हैं। इसके पीछे पड़ना होगा क्योंकि राज्यों द्वारा इसकी मांग की जा रही है। ट्रेड यूनियन संगठन और महिला संबंधी कानून पर न्यूनतम शिक्षा और इस फ्रंट पर कार्य के लिए हमें पूरी तैयारी से काम करना होगा।

3. मज़दूर महिलाओं के मसले जैसे क्रेच, महिला मज़दूर हॉस्टल, बराबर मज़दूरी, तबादले और पदोन्नति इत्यादि जो हम उठाते रहते हैं पर कारवाई होनी चाहिये। राज्यों में और केंद्र में। कुछ राज्यों में, दंपति होने के आधार पर उनके तबादले रोकने में कुछ सफलता भी मिली है।

4. हमारे साथियों को चाहिए कि अपनी यूनियनों के सदस्य बनाने की ओर ध्यान दें। आम तौर पर इसे यूनियन के पुरुष-नेतृत्व के लिए छोड़ दिया जाता है। आज, कुल सदस्यता के दसवें भाग से भी अधिक महिलाओं का है जिनमें से केरल, बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में संख्या सब से अधिक है।

5. सातवीं सीटू कांफ्रेंस द्वारा मजदूरों व कर्मचारियों के लिये निर्धारित ऐसे कार्यक्रमों को लागू करना होगा जैसे असंगठित मज़दूरों की मांगों को उठाना, कृषि मजदूरों के लिए कानून, बेकारी बढ़ाने वाली नई तकनालोजी और यंत्रीकरण, काम का अधिकार और तालाबंद और बीमार मिलों के रोजगार के मसले! समन्वय समितियों को सीटू के साथ, यदि सम्भव हो तो अनाश्रित होकर अभियान चलाने के कार्यक्रम तैयार करने होंगे। पश्चिमी बंगाल में, जूट और टेक्सटाइल मिलों में महिला मजदूरों को लगभग निकाल ही दिया है। 30,000 में से कम से कम 3,000 महिलायें अब भी वहां कुछ विभागों में काम कर रही हैं। प्रबन्धन चाहता है कि यदि वे डबल करघे न चलायें तो उनकी छंटनी कर दी जाये। सीटू की मांग है कि उन्हें रखा जाये। किसी भी समय वह बार कर सकता है! हमारी समन्वय सीमित को इस मसले को उठाना चाहिये और उनकी नौकरी के लिए संघर्ष करना चाहिये।

6. इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि भाजपा एक अच्छी खासी ताकत बन कर उभरी है।

जन आन्दोलनों को तोड़ने वाली भाजपा का पर्दाफाश करने का काम और सभी समुदायों की एकता बनाये रखने का काम हमारे मुख्य कामों में से होगा। महिलाओं पर साम्प्रदायिक प्रचार का सदा जल्दी प्रभाव पड़ता है। वहां काम करते हुए जहां साथ में अल्पसंख्यक काम करते हैं जैसे बीड़ी बनाने के काम में और जहां जिलों इत्यादि में वह बड़ी शक्तियों के रूप हैं, हमारा अभियान चलाना बहुत जरूरी है और भाजपा, विहिप और दूसरों सांप्रदा-

यिक भूमिका का पर्दाफाश करना होगा।

7. यह सच है कि आंगनबाड़ी मजदूरों की फैडरेशन बन चुकी है। आंगनवाड़ी महिलाओं की ओर से रिसपांस बहुत अच्छा है। मामूली मजदूरी और अमानवीय व्यवहार के प्रति उनका असंतोष बहुत ज्यादा है। समन्वय समिति के सदस्य भी आंगनवाड़ी इकाइयों की सहायता की कोशिश करते हैं और कई जगह वे सहायता कर भी रहे हैं।

शेष सभी मांगे, जो तीसरी कन्वेंशन में पारित हुई थीं, चार्टर में शामिल हैं। ये मांगें, मजदूर महिलाओं के बीच, वे सीटू की हों या सीटू से बाहर की, हमारे काम का आधार होंगी।

साथियो,

केन्द्र में कांग्रेस (आई) के आने से और भाजपा के बड़ी संख्या के साथ विरोधी पक्ष में बैठने से और शंकु संसद के बन जाने से, आज हम कठिन राजनीतिक परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। परन्तु वामपंथी पार्टियां व सी पी आई (एम), राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल के साथ मिलकर एक बड़ी ताकत हैं और कई जरूरी मुद्दों पर हस्तक्षेप करने योग्य हैं। यदि हम मेहनत करें और अपना काम ठीक से करें तो कई मुद्दों पर सरकार को झुका सकते हैं। सीटू को राज्य और केन्द्र में महिलाओं के काम में सहायक होना चाहिये और उसे राह निकालने के लिये अधिक ध्यान देना चाहिये जिससे काफ़ी हद तक हमें सफलता मिलेगी।

आओ, मजदूर महिलाओं को लेकर, दूसरी महिलाओं और उनके संगठनों के साथ मिलकर अपनी शक्ति को एकजुट करने का प्रयत्न करें।

मंडल कमीशन ने बड़ी गड़बड़ी और भ्रम पैदा किये हैं। परन्तु मुख्य मुद्दा हैं अनुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को न्याय दिलाना और उन्हें आम संघर्ष के साथ जोड़ना! इन दोनों की एकता से ही उनके हित की रक्षा होगी और उन्हें सामाजिक न्याय मिलेगा।

देश की खस्ता हालत के बावजूद, आई एम एफ से कर्जा लेकर और तीन दिन में दो बार रुपये का अवमूल्यन करके, इसे गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया गया है। जिससे आम आदमी और महिलाओं पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आई.एम.एफ. कर्जे की शर्तें बहुत होंगी। उपभोक्ता वस्तुओं और पेट्रोलियम-पदार्थों के बढ़े हुये मूल्य, बढ़ा हुआ रेल किराया इत्यादि से जनता पर बोझ का पहाड़ टूट पड़ेगा। पहले ही, सीटू और वामपंथी पार्टियों के सहयोग से मजदूरों और आम जनता ने इन हमलों के विरुद्ध सघर्ष का आह्वाहन किया है। मजदूर महिलाओं को पीछे नहीं रहना चाहिए। बढ़ते हुए मूल्य और आम बिगड़ती हालत मजदूर महिलाओ और दूसरी आम महिलाओं को विवश करेगी कि वे कांग्रेस सरकार और मालिकों के विरुद्ध वर्ग-संघर्ष करें। सीटू और समन्वय समिति को इन सघर्षों का नेतृत्व करना होगा ताकि यह सभी भाग संपूर्ण मजदूर वर्ग के संघर्ष के मैदान में उतर आयें जो भविष्य में वर्ग-शक्तियों के आपसी सबंधों को बदल कर रख देगा!

[पृष्ठ 7 का शेष]

महिलाओं ने इस चुनाव अभियान और संगठनात्मक-कार्य में भाग लिया। अपने सगठन की ओर से हमने दो लाख पर्चियां, पोस्टर, हैंडबिल और फोल्डर छपवाये।

जोरदार चुनाव-अभियान से पहले, हमने सभी जनवादी महिला-संगठनों की संयुक्त कन्वेंशन का आयोजन किया और व्यापक अभियान के कार्यक्रम को लागू किया। महिलाओं का अनुभव है कि पश्चिम बंगाल में केवल वामपंथी मोर्चे की सरकार ही महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों की मान-प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकती है। महिलाओं को अपने घरों और बच्चों के बारे में पूरी तसल्ली है। राज्य की कानून-व्यवस्था शांतिपूर्ण है। सबसे अधिक धन पूरे बजट का 25 प्रतिशत, शिक्षा पर खर्च होता है। वामपंथी मोर्चा सरकार की अपनी सीमायें होने के बावजूद नगर-निगम और पंचायत आम जनता को सीधे सुविधायें प्रदान करती हैं। उन्होने वामपंथी मोर्चे को चौथी बार इसीलिए चुनाव में विजयी किया है कि वे वामपंथी मोर्चे की सरकार को लाने के लिए दृढ़-संकल्प हैं ताकि जनता को उन तानाशाही, विभाजक और साम्प्रदायिक शक्तियों से बचाया जा सके जिसका नेतृत्व कांग्रेस (आइ) और भाजपा कर रही हैं।

वामपंथी मोर्चा सरकार चौथी बार बनी है। देश के वामपंथी जनवादी आन्दोलन के महानेता, श्री ज्योति बसु मुख्य मंत्री हैं।

आम जनता जो जनवाद साहती है और जो देश की एकता और साम्प्रदायिक-एकता के इच्छुक हैं, वामपंथी मोर्चे के और भी अच्छी तरह से कार्य पालन के लिए शुभ कामनायें अर्पित करती है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री, श्री ज्योति बसु ने विश्वास दिलाया है हम आशा करते हैं कि आम जनता के हितों की रक्षा करते हुए जिस विश्वास से जनता ने वामपंथी मोर्चा सरकार को चुना है वह उस पर पूरी उतरेगी।

बी.एच.इ.एल. (दिल्ली) के प्रबंधन को महिला कर्मचारियों की मांगें अस्वीकार

दिल्ली में स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकलज लि० के कार्यालय में 200 के लगभग महिला-कर्मचारी हैं। वह प्रबंधन के सौतेले व्यवहार से दुःखी हैं।

दिन ब दिन, वहां की महिलाओं पर अन्याय बढ़ता जा रहा है और उनका काम पर टिके रहना कठिन हो रहा है। इस पुरुष-प्रधान व्यवस्था में इन अन्यायों से वहाँ का पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। यहां सारे निर्णय, वह भी जो केवल महिलाओं से संबंधित हैं, पुरुष ही लेते हैं।

यह हैरानी की बात है कि देश के सबसे अच्छे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से एक होते हुए भी और जो करोड़ों रुपये कमाता है, बावजूद 'बराबर मेहनताना अधिनियम इत्यादि के, कई तरह से पुरुष और महिला में भेदभाव कर रहा है। ऐसे महिला कर्मचारियों के प्रति बी. एच. ई. एल. में किये गये भेदभाव के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं।

(ए) 1985 से बी.एच.ई.एल अपने कर्मचारियों को वर्दी देता आ रहा है। परन्तु महिला और पुरुष कर्मचारियों की वर्दियों की लागत में अन्तर है। 1985 के वर्ष में पुरुष कर्मचारी की वर्दी की लागत 798.4 रुपये थी, पर महिला कर्मचारी की वर्दी केवल 718 रुपये की थी। 1986 में अन्तर 76 रुपये का था। 1988 में यह 108 रुपये हो गया और 1991 में अब यह 97 रुपये हो गया है। यद्यपि महिला कर्मचारियों ने प्रबंधन को ज्ञापन भी दिया परन्तु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। श्री नंदा, डी. जी. एम. ने उन महिलाओं में से कुछ को धमकाया जिन्होंने ज्ञापन पर दस्तखत किये थे। महिलायें मांग करती हैं कि दोनों प्रकार की वर्दियों पर एक जैसा खर्च होना चाहिए और इसे चुनने वाली समिति में एक महिला प्रतिनिधि भी होना चाहिए। महिला कर्मचारियों ने अखिल भारतीय बी.एच.ई.एल. एम्प्लाइज यूनियन को यह मामला उठाने को कहा। परन्तु यूनियन प्रबंधन को इस विषय पर बात करने के लिये राज़ी नहीं कर सकी। यूनियन के सचिव को चेतावनी दी गई कि वह इस मामले से कोई सबध न रखे!

(बी) वह सभी सुविधायें, जैसे वर्दी इत्यादि, जो पुरुष परिचारकों को दी जाती हैं, महिला परिचारकों को नहीं दी जा रहीं।

क्रेच की मांग की उपेक्षा

(सी) बावजूद बार-बार मांग रखे जाने के और ज्ञापन दिये जाने के प्रबन्धन ने दिल्ली की महिला कर्मचारियों को क्रेच की सुविधा देने से इन्कार कर दिया है, जबकि यह सुविधा दिल्ली से बाहर बी.एच.ई.एल. की दूसरी इकाइयों में दी जा रही है। भारत सरकार के कार्यालय-अधिनियमों के अनुसार क्रेच की सुविधा उन कार्यालयों में दी जानी चाहिये जहां 30 या उससे अधिक महिलायें काम करती हों। प्रबंधन ने एकाएक इस मामले को छोड़ दिया है।

(डी) सभी सरकारी कार्यालयों में महिलाओं को अलग से सामूहिक कमरा दिया जाता है परन्तु बी.एच. ई.एल. ने इस याचना को भी ठुकरा दिया है।

(ई) बी.एच.ई. एल प्रबंधन गर्भपात के लिए छुट्टी मंजूर नहीं करती चाहे डाक्टर इसकी सिफ़ारिश भी करते हों और इस तरह से महिला कर्मचारियों को परेशान करती है। इन मामलों पर हो रहे खर्च को तो मंजूरी मिल रही है परन्तु छुट्टी की नहीं। ऐसी दशा में आफ़िस आना भी खतरनाक हो जाता है।

(एफ) प्रबधन प्रसूति-छुट्टी बच्चा होने के पश्चात मंजूर करता है, जबकि यह मां की मर्ज़ी होनी चाहिए कि वह बच्चा होने से पहले छुट्टी ले या बाद में। यह सच है कि यदि डाक्टर परामर्श दे तो प्रसव तक उसके लिए और बच्चे के लिए काम करने रहना अच्छा है। जन्म के 3 महीने पश्चात् ही वह बच्चे की देखभाल कर सकती है। इसलिये प्रसूति-छुट्टी मां की इच्छा और डाक्टर के परामर्श अनुसार दी जानी चाहिए। इस मांग की भी प्रबंधन द्वारा उपेक्षा की गई है।

संघर्ष और आम कार्रवाई के बिना महिला कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं होती। ज्ञापन पर महिला कर्मचारियों के शत-प्रतिशत दस्तखत और महिलाओं द्वारा यूनियन की सहायता से भविष्य में होने वाले बड़े संघर्ष की तैयारी यह सिद्ध करती है कि प्रबंधन को महिला कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए झुकना ही पड़ेगा।

सी.डी.पी.ओ. आफिस पर जबर्दस्त प्रदर्शन

☐ जसपाल कौर जोधपुर

जोधपुर (राजस्थान) 12 जून आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट जोधपुर में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपने शोषण के खिलाफ लड़ाई के एलान कर अपनी यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाया तथा पिछले साल जिला सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जिसमें जिले भर की 500 महिलाओं ने भाग लिया।

सम्मेलन में चुनी गई नई कमेटी के समय पर भुगतान न करने, ईंधन के बिल न देने, पोषाहार के कम सप्लाई किये जाने आदि के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया जिससे स्थानीय प्रशासन और खासकर यहाँ की डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती प्रभा टॉक (जो पहले यहीं पर सीटी मस्ट्रेट भी रह चुकी) ने यूनियन को तोड़ने के इरादे से प्रमुख कार्यकर्ताओं को नोटिस देने तथा स्पष्टीकरण देने जैसे हथकण्डे अपनाने शुरू किये।

इसी बीच इसी प्रोजेक्ट में अवधिपार पोषाहार का वितरण किया। यूनियन की जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का. जसपाल कौर ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन से वितरण रोकने की मांग की किन्तु प्रशासन अड़ा रहा। अंत में यूनियन की कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया कि वितरण रोक दिया जाये तथा इसकी खबर स्थानीय अखबारों में दी गई। इस पर प्रशासन ने सारा माल वापस समेट लिया। इसके तह में जाने पर पता चला कि पोषाहार वितरण का ठेका जिसको दिया था उसने बड़ी भारी रकम अधिकारियों को दी थी किन्तु यूनियन द्वारा वितरण रोक देने से सारा माल वापस इकट्ठा करना पड़ा और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही शुरू हुई। इससे नाराज होकर जिलाध्यक्ष जसपाल कौर सहित तीन अन्य यूनियन कार्यकर्ताओं श्रीमती जमीला, निर्मला तथा सुश्री रतनकौर को 16 फरवरी को कार्य मुक्त कर दिया। यूनियन ने इसके खिलाफ 18 फरवरी को जबर्दस्त प्रदर्शन किया तथा दो घण्टे तक कार्यालय का घेराव किया। इस पर डी. डी. श्रीमती प्रभाटॉक ने उन्हें वापस लेने का आश्वासन दिया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 28 मार्च को कार्यालय पर धरना दिया जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन के अलावा एक दर्जन अन्य यूनियनों ने भाग लिया। इसी बीच प्रभा टॉक ने एक लिखित आदेश पढ़करस भी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सुनाया कि तुम्हारी कोई यूनियन नहीं बन सकती। इससे महिलाएं बहुत हताश हो गयीं किन्तु विरोध कार्यवाहियां जारी रहीं।

इसी कड़ी में 12 जुलाई को एक जबरदस्त प्रदर्शन प्रभा टॉक के ऑफिस पर किया तथा एक घंटे तक कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद गेट पर हुई मीटिंग को जसपाल कौर के अलावा सीटू जिला संयोजक नारायण बांधेवा, दवा प्रतिनिधि यूनियन के वाई के शर्मा, रेलवे के नरपत भाटी, स्टेशन हेडक्वार्टर के राजूजावा तथा नगर परिषद यूनियन के नेताओं ने सम्बोधित किया। आन्दोलन अभी भी जारी है।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

दहेज हत्या में जज शामिल

दिनांक 28-6-91 को संगीता हत्याकांड के जिम्मेदार जज नागेन्द्र राय एवं उसके बेटे आशुतोष राय के खिलाफ बिहार राज्य जनवादी महिला समिति के पटना जिला कमेटी की ओर से सुश्री प्रमिला सिंह की अध्यक्षता में धरना का आयोजन पटना स्टेशन गोलम्बर पर किया गया। जिसे बिहार राज्य जनवादी महिला समिति की सचिव का० सुधा बिन्दु मिश्रा, का० अपर्णा भट्टाचार्या, संयुक्त सचिव एवं सी० पी० एम० विधायिका का० मंजू प्रकाश, कान्ति कुमारी, एस० एफ० आई० सचिव मण्डल सदस्य का० अरुण कुमार, सी० पी० एम० के पटना जिला कमेटी के सचिव का० गिरिजाशंकर पाण्डेय ने संबोधित करते हुए जज नागेन्द्र राय एवं उसके बेटे आशुतोष राय के इस क्रूरतापूर्ण तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की और न्यायपालिका पर जज नागेन्द्र राय एव उसके बेटे आशुतोष राय को अग्रिम बेल पर रिहा किये जाने पर रोष व्यक्त किया और अग्रिम बेल रद्द कर दोनों बाप-बेटे को तुरन्त गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने और संगीता की 10 महीने की बच्ची चिंकी को अपने दादा की संपत्ति में हक दिलाने की मांग सर्वसम्मति से की और न्याय मिलने तक संघर्ष को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

विदित हो कि संगीता भाटिया ने सामाजिक कुरीति को तोड़कर हाइकोर्ट के एक जज नागेन्द्र राय के बेटे आशुतोष राय से अन्तर्जातीय विवाह करने का साहसिक कदम उठाया था। परन्तु, न्याय की कुर्सी पर बैठे जज के अमानुषिक प्रवृति का पता इसी से चलता है कि उसने इस शादी को स्वीकृति नहीं दी और संगीता भाटिया को अन्त-अन्त तक बहू मानने से इनकार करता रहा। जब भी वह अपने ससुराल जाती और अपने पति से मिलने व घर में जाने का प्रयास करती तो उसे नागेन्द्र राय नौकरों से धक्के देकर बाहर निकाल देता था। तथा यह बात भी कहता था कि तुम अपने मां-बाप से बारह लाख रुपया मांग कर लाओ तभी तुमको इस घर में स्थान दिया जायगा और तरह-तरह की यातनाएं दी जाती थी। संगीता भाटिया के पिता इतना रुपया देने में असमर्थ थे और संगीता भी जुल्म सहते-सहते अपने जीवन से ऊब चुकी थी इसलिए उसने गले में फंदा डालकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।

ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए. को रुपये के अवमूल्यन के निर्णय से गंभीर चिंता

श्रीमती विमल रणदिवे, ए.आई.डी.डब्ल्यू. की उपाध्यक्ष ने प्रेस को निम्नलिखित बयान दिया है।

आई. एम. एफ. को प्रसन्न करने के लिए, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा थोड़े समय के अनुक्रम से दो बार रुपये के अवमूल्यन के लिए गये निर्णय से ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए. को गम्भीर चिन्ता है। जाहिर है कि यह कड़े निर्णय, जिसके बारे में श्री राव और उनके नये वित्तमंत्री बात कर रहे हैं, आई. एम. एफ. के उकसाने पर लिया गया है। और जैसा कि पिछले दशक का अनुभव है, आई. एम. एफ. के विकल्प का अर्थ है—अभूतपूर्व मुद्रास्फीति, मेहनताने में कमी, सामाजिक-कल्याण कार्यों के खर्च में कमी और साथ ही संगठित करने के बुनियादी अधिकार पर रोक। जैसा कि पहले होता आया है महिलाएं ही अधिक पीड़ित होंगी।

ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. महिलाओं से आह्वान करती है कि भारतीय जनता की कमर तोड़ने वाले इस निर्णय का विरोध करें। साथ ही, यह भी जरूरी है कि हम महिलाओं का और आम जनता का ध्यान इस ओर दिलायें कि हमारे पास आई. एम. एफ. का ही एकमात्र विकल्प नहीं है। हमारे पास कड़े निर्णयों और संरचनात्मक सुधारों का दूसरा विकल्प है जो भूमि-सुधारों और सार्वजनिक वितरण पद्धति इत्यादि से शुरू होता है और जो वास्तव में आर्थिक-पेशकदमी और राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और जिसका आधार अधिक जनतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था होगी। आई. एम. एफ. कर्ज़ा जानते-बूझते हुए तैयार किया गया राजनीतिक विकल्प है न कि पहले से ही बनी परिस्थितियों में काम आने वाला विकल्प, जो हमें कांग्रेस (आई) समझा रही है। यह जनता-विरोधी भी है और भारत को कमजोर करने वालों हाथों में एक उपयोगी हथियार का काम भी दे सकता है।

मजदूर महिलाओं की तीसरी अखिल भारतीय कांग्रेस के बाद त्रिपुरा राज्य समिति की कार्य रिपोर्ट

मंजुलिका बसु

ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू डब्ल्यू की त्रिपुरा राज्य समिति की मीटिंग 14-3-91 को हुई। 12-3 फरवरी, 1991 को हुई मजदूर महिलाओं की तीसरी अखिल भारतीय कांफ्रेंस की रिपोर्टिंग-मीटिंग थी।

10-4 91 को राज्य समिति की मीटिंग हुई और दसवीं संसद के चुनाव बहस का मुख्य मुद्दा था। इस मीटिंग में समिति ने कुछ कार्यक्रम तैयार किये :—

(ए) सीटू ने 18-4-91 को सेवा-मुक्त किये गये मजदूरों को बहाल करने के लिए एक बड़े प्रतिनिधि मंडल का आह्वान किया। महिला मजदूरों की समिति ने महिला मजदूरों को इस बड़े प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने के लिए संयोजित और जबरदस्त प्रचार के आह्वान का निश्चय किया। इस कार्यक्रम में महिला मजदूरों की भागीदारी याद करने योग्य थी।

(बी) समिति ने तीन चाय बागों की महिला मजदूरों की सभायें करने का निश्चय किया। इसके अनुसार तीन सभायें की गयीं और महिला मजदूरों की इन में भागीदार बहुत अच्छी थी।

(सी) समिति ने अगरतला में, 20 विषय-बिन्दु मांगों के चार्टर पर जो तीसरी अखिल भारतीय कांफ्रेंस में तैयार हुआ था, महिला मजदूरों की कन्वेंशन बुलाने का निर्णय लिया।

28 अप्रेल, '91 को कन्वेंशन हुई जिसमें 150 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। विश्वविद्यालय के अध्यापक, कालेज के अध्यापक, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापक, सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, पी. एन. टी. स्टाफ, बीड़ी श्रमिक, प्रेस मजदूर, तांत श्रमिक, चाय मजदूर, दैनिक मजदूर और सभी हिस्सों से आई महिला मजदूरों ने इस कन्वेंशन में भाग लिया। कन्वेंशन ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न यूनियनों और एशोशियेशनों द्वारा 4 महीनों की प्रसूति-छुट्टी और दूसरे मुद्दों के लिए आन्दोलन का आयोजन किया जायेगा।

परन्तु राजीव गांधी की दुःखांत हत्या के फौरन बाद ही कांग्रेस (आई) कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस (आई)—टी. यू. जे. एस. सरकार की सक्रिय सहायता से, सी. पी. आई. (एम) पर पूरे त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर जालिम हमले किये।

कांग्रेस (आई) के गुंडों ने सोचे समझे तरीके से सी. पी. आई. (एम) के नेताओं, मजदूरों और समर्थकों को अपना शिकार बनाया। सैंकड़ों घरों और दुकानों को आग लगाई गयी, लाखों रुपये की सम्पति लूटी गई और नष्ट की गई। 21 मई से लेकर अब तक 49 सी. पी. आई. (एम) और जनवादी संगठनों के कार्यालय नष्ट किये गये। शेष कुछ लूट लिए गये कुछ तोड़ दिये गये।

रिपोर्ट लिखने के दिन तक सी. पी. आई (एम) के सात समर्थकों की हत्या की गई। कांग्रेस (आई) के गुंडों के क्रूर अत्याचारों से सी. पी. आई (एम) के सैंकड़ों नेता, मजदूरों और समर्थक, बिना लिहाज के वे बूढ़े हैं या बच्चे या जीवन के किसी भी कार्य में लगी महिला, बेघर कर दिये गये और उन्हें जंगलों में छुपने या खुले आसमान के नीचे पड़े रहने पर विवश किया गया। यहां तक कि उन्होंने गर्भवती महिलाओं को या सत्तर साल की बूढ़ियों को या 6 महीने के बच्चों को भी नहीं बख्शा।

इन हमलों से महिलायें, विशेषकर महिला मजदूर सब से अधिक पीड़ित हुयीं। यह हमले अभी जारी हैं।

ऐसी है त्रिपुरा की स्थिति।

त्रिपुरा में कांग्रेस-टी यू जे एस अर्द्धफासी आतंकराज से जूझ रहे हमारे बहादुर साथियों की मदद के लिए त्रिपुरा फंड में अंशदान दें।

संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहस

सुशीला गोपालन

…वास्तव में, यह अल्प-विकास और विकास-विरोध का ब्लू प्रिंट है। अभिभाषण में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें भूमि सुधार कानून के बारे में औपचारिक संदर्भ तक नहीं दिया गया। कल प्रधानमंत्री ने भूमि सुधार कानून के बारे अपनी राय दी थी। कांग्रेस महसूस करती है कि जो भी करना चाहिए था वह कर चुकी है।

भूमि वितरण पर

यदि आप कुछ पीछे देखें तो आप पायेंगे कि महलानोबीस समिति ने 1950 में रिपोर्ट पेश की थी। इसने पता लगाया था कि 6 करोड़ 30 लाख एकड़ अधिशेष भूमि वितरण के लिए उपलब्ध है। उसके पश्चात समिति पर समिति बनाई गयी यह पता करने के लिए कि अधिशेष भूमि क्या है? आखिर में क्या हुआ? 77 लाख एकड़ भूमि अधिकार में ली गई और 58 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया गया। उसमें से लगभग 20 प्रतिशत प. बंगाल की थी। शेष में से यदि आप केरल, कश्मीर और त्रिपुरा में वितरण की गई भूमि का भी हिसाब करें तो कांग्रेसी सरकारों द्वारा वितरण हुई भूमि का एकड़ का नाप क्या बैठेगा? आप बेरोजगारी की समस्या का क्या समाधान करने जा रहे हैं? हमारे देश में लगभग 14 करोड़ लोग बेकार हैं। परन्तु मुख्य इलाज खादी उद्योग, ग्रामीण उद्योग और लघु उद्योग के लिए है। यदि आप भूमि वितरण न करें तो क्या जवाहर रोजगार योजना व आई आर डी पी कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर पायेंगे? मौलिक भूमि सुधारों की आवश्यकता है।

आप भूमि लो और वितरण करो। यह धारणा कांग्रेस पार्टी की नहीं है। भूमि संबंधी मोर्चे के बारे में जो भी कहा जाता है, वह केवल देश के धनवान कृषकों के लिए है न कि कृषि मजदूरों के लिए या गरीब किसानों के लिए। यदि यह दशा है तो क्या बनेगा? आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विरोध मे हैं और अपने अभिभाषण में आपने उनके विरुद्ध इतना कुछ कहा है। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर आक्रमण बढ़ रहे हैं। भूमि दिये बिना क्या आप उन्हें बचा सकते हैं? संयुक्त पट्टों के बारे बहुत चर्चा की गई और राजीव गांधी के समय इसका खूब प्रचार भी किया गया। परन्तु इसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं नहीं है। कहां गया यह? संयुक्त पट्टों को महिलाओं को देने के लिए भूमि चाहिये। आपकी भूमि ले लेने की कोई योजना नहीं है। आप किसी भूमि सुधार के बारे विचार नहीं कर रहे! आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते!

औद्योगिक नीति पर

नई औद्योगिक नीति जो आप अपनाने जा रहे हैं, वास्तव में रोजगार में कमी करने जा रही है। डाक व तार विभाग और रेल विभाग में, यदि आपकी योजनायें लागू की जायें, तो लाखों कर्मचारी शीघ्र ही बाहर कर दिये जायेंगे। तो, होने क्या जा रहा है? आपकी बेरोजगारी दूर करने की कार्रवाई के लिए योजना नहीं है।

आपने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। डाक सेवा में 3 लाख से अधिक अतिरिक्त-विभागीय-मजदूर हैं। उन्हें क्या मिलता है? आप उन्हें 250 रु. से 400रु. तक प्रति महीना देते हैं। रुपए के अवमूल्यन हो जाने से इनका क्या बनेगा?

आंगनवाड़ी महिलाओं के बारे क्या हुआ

एक क्षेत्र और है। आंगनवाड़ी मजदूरों को क्या मिलता है? एक आंगनवाड़ी मजदूरों का वेतन 225 रु. से लेकर 325 रु. तक है। एक हेल्पर को 110 रु. मिलते हैं। वास्तव में हो क्या रहा है? मैं नहीं जानती आपका मजदूर वर्ग के प्रति दृष्टिकोण क्या है? आपको विस्तार से बताना होगा कि आप औद्योगिक संबंधों में कौन से सुधार करके मजदूर वर्ग का बचाव करने जा रहे हैं। इन मजदूरों के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? वास्तव में, टेक्सटाइल उद्योग में आधुनिकीकरण कार्यक्रम ने पहले ही हथकरघा उद्योग में संकट पैदा कर दिया है। लाखों मजदूर बाहर निकाले जायेंगे। समाधान क्या है?

[शेष पृष्ठ 15 पर]

'बीड़ी' में लगी महिलायें सुविधाओं से वंचित

एम. राजंगम तिरुनेलवेली

मेरे मुकदम्मे पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा लोक हित में दिये गये निर्देश पर, श्रम कल्याण निदेशक, भारत सरकार ने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई जिसमें तमिलनाडु सरकार के राज्य श्रम आयुक्त और भविष्य-निधि के, शिशु महिला कल्याण विभाग के और दूसरे संबंधित विभागों के पदाधाकारियों ने भाग लिया ! मीटिंग 5-6-91 को हुई ।

तमिलनाडु का राज्य श्रम-विभाग यह जानने के लिए सत्यापन करेगा कि तिरुनेलवेली और दूसरे जिलों में दस मुख्य बीड़ी-विनिर्माण कम्पनियों ने वास्तव में कौन से मज़दूर काम में लगाये हुए हैं । इसके लिए विभाग द्वारा, हर पास बुक रखने-वाले की बीड़ियां रोल करने की संख्या विनिर्मातओं के पास कच्चे माल के स्टाक-रजिस्टर और दूसरे रिकार्डों का अच्छी तरह से परीक्षण किया जायेगा । जहां भी यह सिद्ध हो जायेगा कि वहां वास्तव में महिलायें काम कर रही हैं, उन्हें पास बुक जारी की जायेगी। तमिलनाडू राज्य श्रम विभाग बीड़ी यूनियनों और नियोक्ताओं की तिरुनेलवेली में एक त्रिपक्षीय मीटिंग बुलायेगा जिसमें मजदूरों की पहचान के मामले और दूसरे मामलों पर विचार-विमर्श किया जायेगा । बातचीत के दौरान यह भी पता लगा कि राज्य सरकार द्वारा बीड़ी मज़दूरों के मकान बनाने के लिए जो 9 करोड़ रुपये रखे गये थे वे प्रयोग में नहीं लाये जा सके और वे व्यगत हो गये क्योंकि राज्य की ओर से इसके लिए कोई तजवीज़ ही नहीं आ पाई । बीड़ी मज़दूरों के लिए जो कई डिस्पेन्सरियां बननी थीं, वे भी राज्य सरकार की कठोरता से बन नहीं पायीं ।

विभाग तमिलनाडु में एक बीड़ी मज़दूर कल्याण फंड प्रदेशिक कार्यालय बनाने के लिए और तिरुनेलवेली में, जहां बहुत अधिक बीड़ी मज़दूर हैं, एक अधीनस्थ कार्यालय बनाने के लिए गम्भीरता से विचार के लिए सहमत हो गया ।

विभाग महिला बीड़ी मज़दूरों को 250 रुपये की प्रसूति सुविधा देने को राज़ी हो गया चाहे उनसे नाम पास बुक में भी न हों । विभाग मजदूरों की वास्तविक पहचान का सत्यापन उनकी अंगुलियों के चिह्नों से करेगा न कि विनिर्माताओं के रिकार्डों से ।

बीड़ी उद्योग में लगे बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जाने पर भी विभाग गम्भीरता से विचार करेगा । यह स्कूल के प्रतिरूप चलाये जायेंगे और बीड़ी मज़दूर कल्याण फंड द्वारा ही इस पर व्यय किया जायेगा ।

विचार-विमर्श करने के दौरान हमें यह जान कर हैरानी हुई कि बीड़ी मज़दूरों के बच्चों को दी जाने वाली छात्र-वृत्तियां, उन सभी को मिलती हैं जो एक निश्चित प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। छात्र-वृत्ति सभी पात्र आवेदकों को दी जाती है जो इस मानदंड पर पूरा उतरते हैं और इनके लिए कोई प्रादेशिक आबंटन नहीं है या कोई और रोक नहीं है । विभाग ऐसे अनाचार के मामलों के बारे भविष्य में जांच करने के लिए राज़ी हो गया है ।

[पृष्ठ 14 का शेष]

आप कहते हैं कि आप लघु उद्योगों का विकास करने जा रहे हैं परन्तु लघु उद्योगों को बैंक उद्योगों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं वापिस ली जा रही हैं । आप लघु उद्योगों का क्या सुधार करेंगे जब आप इन्हें संरक्षण नहीं दे सकते। क्या उन क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है जहां ये काम करेंगे । वास्तव में इन सभी क्षेत्रों में इजारेदार छा रहे हैं और लघु उद्योग क्षेत्र को सहना पड़ रहा है इस सबके लिए कोई सीमांकन नहीं किया गया है । आप रोजगार, विशेषकर कृषि पर आधारित उद्योगों में, कैसे पैदा करेंगे ? यदि आप भूमि का वितरण करें तो कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास हो सकता है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की सहायता होगी । वास्तव में गरीब जनता की हालत सुधारने में आपकी कोई रुचि नहीं है, जिसके बारे आप अक्सर ही बात करते रहते हैं । उन पर अत्याचार हो रहे हैं । हमले, हत्यायें सभी कुछ तो हो रहा है । बिना मौलिक भूमि सुधार किए आप कुछ नहीं कर सकते । इन सभी अनुभवों के होते हुए, कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के प्रति अपनी नीतियां नहीं बदली हैं ।

आप हमसे समर्थन चाहते हैं ? किस लिए ? मेरी समझ से बाहर है कि हम आपको किसलिए समर्थन दें ? आपकी सभी नीतियां जनता और मजदूर वर्ग के विरुद्ध हैं । वास्तव में सरकार को अपनी नीतियां स्पष्ट शब्दों में बतलानी चाहिए । पर यह सब नहीं है ।

महिलाओं का स्थान संघर्ष के जंगी मोर्चे पर है—डरबन में ए. एन. सी. महिला लीग का संगठन

ओलिवर टाम्बो

1948 में रंग भेद के विरोध में बनी ए. एन. सी. महिला लीग, जिस पर 1961 में पाबंदी लग गयी थी, अगस्त 1990 में फिर से खड़ी कर दी गई।

दक्षिण अफ्रीका की स्थिति में कुछ सकारात्मक सुधार से ए. एन. सी ने देश में अपने आप को फिर से खड़ा करने का निर्णय लिया। इस को देखते हुए, महिलाओं ने भी अपने संगठन, ए. एन. सी. महिला लीग ने पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। यह निर्णय, मई 1990 को लुसाका में हुई एक विस्तृत राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी सभा में लिया गया।

इस सभा का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि 9 अगस्त को डरबन में, ए. एन. सी. महिला लीग बनाने के के लिए, महिलाओं की एक बड़ी रैली हुई। आज से 34 वर्ष पहले 1956 में, इसी दिन पूरे देश से आई हुई 20,000 महिलाओं ने बड़ी वीरता और संकल्प के साथ अपमानजनक पास-कानून को लागू करने के जोरदार विरोध में, दक्षिण अफ्रीकी सरकार के सिंहासन की ओर कूच किया था।

9 अगस्त, जिस दिन ए. एन. सी. महिला लीग की नींव रखी गई थी, दक्षिण अफ्रीका के महिला आन्दोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह दक्षिण अफ्रीका और नम्बिया की संघर्ष करती हुई महिलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय घनिष्टता दिवस के रूप में माना गया है। 1981 में, इस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अधिकारपूर्वक मान्यता दी गई। अब न केवल उस प्रदेश की महिलाओं द्वारा बल्कि समस्त विश्व की महिलाओं द्वारा हर वर्ष यह दिन मनाया जाता है।

दशकों तक, दक्षिण अफ्रीका की काली महिलाओं ने तीन तरफ़ा दमन सहा है। पहला तो इसलिए कि वे काली हैं, दूसरे वे महिलायें हैं और तीसरे इसलिए कि वे रंग भेद व्यवस्था में जी रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के पूरे इतिहास में, महिलायें देश की राष्ट्रीय मुक्ति सेना का एक भाग रही हैं। दक्षिण अफ्रीका की महिलायें रंग भेद, दमन और भेदभाव के विरोध में अपने वीरता से किये गये संघर्ष के लिए मानी जाती हैं। पहले भी, अलग-अलग राष्ट्रीय ग्रुपों, अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और अलग-अलग धर्मों को मानने वाली दक्षिण अफ्रीका की महिलायें, रंग भेद के विरोध के लिए और एक संयुक्त, गैर नसली, जनतांत्रिक और लिंग भेद विरोधी दक्षिण अफ्रीका बनाने के संघर्षों में अपनी भूमिका निर्धारित करने के लिए कांफ्रेंसों और सभाओं में एकत्रित हुई हैं जैसे लुसाका में, हरारे में ...।

नयी बनी ए. एन. सी. महिला लीग के लक्ष्य और उद्देश्य हैं महिला के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना,—ए. एन. सी के भीतर भी और बाहर भी। इन अधिकारों को राष्ट्रीय, सामाजिक, लिंग सभी प्रकार के दमन से बचाना है।

ए. एन. सी महिला-लीग बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। यह राजनीतिक घटनाओं से पैदा हुई नयी परिस्थितियों में चल रहे मुक्ति—आन्दोलन के अन्दर दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं को संगठित करने और गतिमान् करने के लिए जरूरी था! यह महिलाओं की उन्नति, उनकी मुक्ति और उनके विकास की गारन्टी के लिए भी जरूरी था।

दक्षिण अफ्रीकी जनता के स्वतंत्रता संघर्षों और मुक्ति-संघर्षों में महिलाओं की मुक्ति केन्द्रीय मुद्दा रहा है। सभी निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के भाग लेने के अधिकार को उसूल में और व्यवहार में सुनिश्चित करना होगा।

दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं की मुक्ति के बारे ए. एन. सी के एक बयान में कहा गया है कि सदियों से होते आये महिलाओं के दमन ने उन्हें कई तरह से वंचित रखा है और उन्हें कोने में धकेल दिया है। राष्ट्र में महिलाओं के स्वास्थ्य का स्तर, उनकी पढ़ाई का स्तर और उनके

कौशल का स्तर सब से नीचे रहा है। उनकी बहुसंख्या तो अब भी गृहस्थी के काम का पूरा बोझ ढोती हैं। बेरोजगारों की अधिक संख्या महिलाओं की है। और महिलायें कम वेतन के और घटिया कामों में लगी हैं। इन दमनकारी परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं ने मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रंगभेद से छुटकारा पाने का संघर्ष दक्षिण-अफ्रीकी महिलाओं के सम्पूर्ण मुक्ति से जुड़ा हुआ है। जीवन के सभी दायरों में, महिलाओं की वास्तविक मुक्ति संघर्ष की राह इतनी आसान नहीं है। इसलिए, बराबरी के उसूल को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिये। महिला लीग ने कहा है वह जनवादी महिला संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करने को तैयार है।

ए. एन. सी महिला लीग व दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं के आगे यह चुनौती है कि वे एक संयुक्त, गैर-नसली, लिंग-भेद रहित जनतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के निर्माण के लिए लड़ें।

ओलिवर टाम्बो, जिन का वर्षों की जलावतनी काट कर दक्षिण अफ्रीका लौटना हुआ है, ने एक बार कहा था कि महिलाओं की जगह संघर्ष के जंगी मोर्चे पर है।

हम, विश्व भर की महिलायें अपनी दक्षिण अफ्रीका की बहनों और मित्रों को उनके साथ अपनी अटूट घनिष्टता का आश्वासन देती हैं।

बिहार राज्य स्तरीय कोआर्डिनेशन समिति का गठन

बिहार राज्य सी. आई. टी. यू. पी. उपाध्यक्ष, कॉ. रमनिका गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि दिनांक 11 अगस्त 1991 को बिहार राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति के गठन के हेतु बिहार के पैमाने पर सम्मेलन बुलाने के लिए एक सगठनिक समिति का गठन किया गया जिसकी संयोजिका कॉ. रमनिका गुप्ता, सह संयोजिका कॉ. सरिता सिंह, कॉ. श्रीमति सुरेन्द्र मिश्रा एवं कॉ. अपर्णा भट्टाचार्या चुनी गयीं। इस गठन में कोयला, आंगनवाड़ी, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी इन्सोरेन्स, शिक्षा इन्भरसीटी, माध्यमिक शिक्षा सघ, उद्योग विभाग सी. आई. टी. यू. जनवादी महिला समिति आदि में कार्यरत संगठनों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बिहार राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति का उद्देश्य महिलाओं को अपने-अपने जनसंगठनों में नेतृत्व कार्य एवं निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए तैयार करने के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी महिलाओं की एक मुखर सक्रिय और संघर्षशील मंच तैयार करना है। जो उनकी समस्याओं को उठाते हुए उनके जनसगठनों को मजबूत कर सके।

(बी.एच.ई.एल. की महिला कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू. डब्ल्यू की सचिव विमल रणदिवे को ओर से लिखा गया पत्र नीचे दिया जा रहा है—संपादक)

श्री एस. पी. गुप्ता,
चेयरमैन व प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि०,
सिरी फ़ोर्ट, नई दिल्ली-49

प्रिय महोदय,

मैं बी.एच. ई. एल, दिल्ली की 186 महिला-कर्मचारियों के दस्तखत शुदा संयुक्त पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने पर विवश हूं, जिसमें कपड़ों, चप्पलों इत्यादि की सप्लाई में प्रभेद करने के बारे कहा गया है। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए चीजों की खरीद में अन्तर काफ़ी है। मेहनताना तरक्की के अवसरों इत्यादि पर प्रभेद करने की बात तो छोड़ो, यह हैरानी की बात है कि एक बी. एच. ई. एल. जैसी सार्वजनिक व्यवस्था अपनी महिला-कर्मचारियों के साथ इन मामलों पर भी ऐसा व्यवहार करती है।

मुझे पता लगा है कि बी. एच. ई. एल. के डी. जी. एम. (प्रशासन) ने कुछ ऐसी महिला कर्मचारियों को परेशान करना शुरू कर दिया है जिन्होंने दिये गये ज्ञापन पर दस्खत किये थे।

ज्ञापन पर दस्खत करने वालों ने यह मांग भी रखी है कि इन चीज़ों को खरीदने के लिए बनाई गई समिति में एक महिला प्रतिनिधि भी शामिल की जाये!

महिलाओं द्वारा रखी गयी इन मांगों में यथार्थता का ध्यान रखते हुए, मैं आशा करती हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करके इन महिलाओं की मांगों की पूर्ति के लिए सहायता करेंगे और डी. जी. एम. (प्रशासन) द्वारा महिलाओं को परेशान किया जाना बंद करवायें!

धन्यवाद

सांसद ने आंगनवाड़ी महिलाओं का सवाल उठाया

श्रीमति मलिनी भट्टाचार्य सीपीआइ (एम) ने संसद में आंगनवाड़ी मुद्दों पर बोलते हुए कहा, महोदय ! मैं संबंधित मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि देश में 5 लाख आंगनवाड़ी मजदूरों की उचित मांगें पूरी करने में एक के बाद एक आई सभी सरकारें असफल रही हैं। अभी तो आंगनवाड़ी काम को स्वैच्छिक सेवा माना जाता है और है और बहुत ही मामूली मेहनताना दिया जाता है जो इस पर होने वाली मेहनत और लगने वाले समय के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। प्रश्न केवल मजदूरों के निर्वाह का नहीं है मानव प्रतिष्ठा का भी है। वे बहुत देर से इसके लिए आन्दोलन चला रहे हैं। एक के बाद एक मंत्रालय के आगे उन्होंने अपनी मांगें रखीं। 1989 में, जब इन्द्रिा महिला योजना घोषित हुई, यह कहा गया था कि ग्राम सेविकाओं और आंगनवाड़ियों को सरकारी कर्मचारियों की हैसियत मिलेगी। परन्तु कुछ नहीं किया गया। बाद में, राष्ट्रीय मोर्चा शासन में श्रम कल्याण मंत्री, माननीय पासवान जी इस बात पर मान गये थे कि मेहनताने की दरों को परिशोधित किया जायेगा। परन्तु उन्होंने भी न्यूनतम मजदूरी की हैसियत के बारे कुछ नहीं कहा। आज, जब हम एक बार फिर इन्दिरा महिला योजना की बात सुन रहे हैं, तो मैं यह ज़ोर देकर सरकार से कहना चाहूंगी कि यह आंगनवाड़ी मजदूरों को दिये गये अब वचन को पूरा करे जो उनकी स्वर्गीय नेता ने दिया था और या तो उन्हें सरकार कर्मचारियों की हैसियत दी जाये या फिर अभी इतना तो हो कि उन्हें उनके काम के महत्व के अनुसार मेहनताना मिले।

विघ्न

श्री मनोरंजन भक्ता (अंडेमान-निकोबार) : यह बहुत जरूरी समस्या है। मैं माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

(विघ्न)

श्रीमति मलिनी भट्टाचार्य : नहीं तो उन्हें फिर दिल्ली आना पड़ेगा।

महिलाओं पर अत्याचार

डॉ० असिम बाला : क्या गृह-मंत्री कृपया यह बतलायेंगे : (ए) देश में, पिछले तीन वर्षों में, बहुयें जलाने, बलात्कार और बालिका-वध समेत महिला अत्याचारों के कितने मामले दर्ज किये हैं; और (ब) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

जवाब

गृह-मंत्री (श्री एस. बी. चवान)

(ए) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के समेत, अपराधों को दर्ज करने का, उनकी तफतीश करने का, उनका पता लगाने और उन्हें रोकने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 1988, 1990 में, बहुयें जलाने इत्यादि समेत महिला अत्याचारों के दर्ज किये गए मामलों की संख्या के बारे जो सूचना उपलब्ध है, संलग्न की गई है। केंद्रिय-एजेंसियों द्वारा बालिका-वध के आंकड़े अलग से एकत्रित और संकलित नहीं किये जाते।

(ए) दहेज मनाही एक्ट, 1961 को संशोधित किया गया है ताकि प्रावधान अधिक कठोर और प्रभावी हों। भारतीय दण्ड-संहिता, आपराधिक-कार्यविधि-संहित, 1983 और भारतीय गवाहीं एक्ट, 1972 को आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) एक्ट, 1983 द्वारा संशोधित किया गया है ताकि न केवल दहेज के कारण मौतों के मामलों को बल्कि विवाहित महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मामलों को भी प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके।

स्थायी हिदायतों के अनुसार, दहेज कारण हुई मृत्यु के मामले की जांच पड़ताल करने वाला अफ़सर पुलिस उप-अधीक्षक के ओहदे से कम का नहीं होना चाहिये, पोस्ट-मार्टम दो डाकटरों की टीम द्वारा किया जाना होगा और बिना पोस्ट-मार्टम किये बिना लाश को हठाने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

समय-समय पर राज्य सरकारों को हिदायतें दी जाती हैं कि वे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का पता लगाने और रोकने के लिए प्रभावी कारंवाई करें।

महिला व शिशु विकास विभाग ने भी मौजूदा महिला संबंधी कानून की कमियां दूर करने के लिए महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग बैठाने और महिलाओं के उत्थान में लगे संगठनों को सहायता देने के पग उठाये हैं।

लोक सभा अंकित प्रश्न नं. 92 दिनांक 19.7.91
देश में औरतों के विरुद्ध रजिस्टर्ड अपराधों के केसों का विवरण
(कालावधि 1988 से 1990 तक)

क्रम	अपराध	रजिस्टर्ड केसों द्वारा		
		1988	1989	1990
1.	बलात्कार	8805	9150	9517
2.	हाथापाई करना	17835	20497	20185
3.	औरतों व लड़कियों को भगाना	9533	11573	11589
4.	छेड़छाड़ करना	10109	9934	8520
5.	जलने से दहेज और आत्महत्या	518	477	533
6.	अन्य तरीकों से दहेज आत्म-हत्या	777	787	845
7.	जलने से दहेज हत्या	418	418	398
8.	अन्य तरीकों से दहेज हत्या	485	521	480
9.	भा० पु० धा० 304 बी के तहत जलाने से मौत	—	774	650
10.	अन्य तरीकों से मौत	—	1138	1528

आंगनवाड़ी प्रतिनिधिमंडल की महिला व बाल-कल्याण राज्यमंत्री से भेंट

संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से विमल रणदिवे ने निम्नलिखित बयान दिया है :

संयुक्त संघर्ष समिति, जिसमें पांच अलग-अलग आंगनवाड़ी मजदूरों और सहायकों की अखिल भारतीय फैडरेशनें हैं, ने नारी व बाल-कल्याण राज्यमंत्री श्री ममता बनर्जी को मांगों के चार्टर का ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने अपनी आजकल की अमानवीय कार्य-परिस्थितियों का वर्णन किया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य प्रश्न यह उठाया कि मजदूरों को 225 रु० से 350 रु० तक का और सहायकों को 110 रु० का तुच्छ पारिश्रमिक दिया जाये। ए.बी.ए.के. की महासचिव श्रीमती राजकुमारी तथा प्रति-निधिमंडल के साथ आयीं दूसरी महिलाओं ने सी. डी. पी. ओ. एस. द्वारा दी गई परेशानी, कि कितने ही रजिस्टर उन्हें भरने पड़ते हैं तथा काम के अधिक घंटों के बारे में मंत्रीजी को अवगत कराया। और कार्यालयों की मीटिंगों में उपस्थित होने पर उन्हें कोई टी० ए० नहीं मिल रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि इन महिलाओं की नियुक्ति तो केन्द्र सरकार द्वारा होती है परन्तु उन्हें समाज-सेविका के रूप में जाना जाता है और उन्हें केवल पारिश्रमिक ही दिया जाता है और इस प्रकार सस्ती मजदूरी पाने को मजबूर किया जाता है। प्रति-निधिमंडल ने मांग की कि इन महिलाओं का नियमिती-करण किया जाये और उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाये।

प्रतिनिधियों को धैर्य से सुनने के पश्चात् श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा कि इस मामले पर उनके मंत्रालय में विचार-विमर्श चल रहा था और जब इसे संसद में उठाया गया तो सभी महिला सांसदों ने तथा अन्य कई ने इन मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कुछ ही दिनों के अन्दर पारिश्रमिक के प्रश्न पर गौर करने का वादा किया।

प्रतिनिधिमंडल में श्री बी. के. प्रसाद, श्री हुकुमसिंह, श्रीमती विमल रणदिवे, श्री बी. डी. जोशी, श्रीमती राज-कुमारी, श्रीमती शोभा रानी और श्रीमती उषा शर्मा और सभी फैडरेशनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

महिला और कानून–विवाह की आयु

डा० श्रीमति नलिनी, श्रीमति पद्मा

सुधार-आन्दोलन, जिसे राजा राममोहन राय, केशव-चंद्रसेन, ज्योतिबा फुले, एम. जी. रानाडे जैसे कुछ नेताओं ने चलाया था, से महिलाओं के परिवार और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण कानून बने।

उदाहरण के तौर पर : (1) 1829 का सती उन्मूलन, एक्ट (2) विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1956 और (3) शारदा एक्ट 1929।

स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिला और वे अपना साहस और उत्साह दिखा सकीं। नेतृत्व ने भी महिलाओं की भागीदारी, लक्ष्य प्राप्त करने के लिये जरूरी समझी क्योंकि आधी जनसंख्या उनकी हैं। इसीलिये विधान निर्माताओं ने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किये ताकि उनका पिछड़ापन दूर हो सके और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कानून बनें।

यहां महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कानूनों के विभिन्न पहलुओं के और उनकी सीमाओं के बारे में अध्यका प्रयास किया गया है।

विवाह की आयु

समाज सुधारक देश में बाल विधवाओं की इतनी अधिक संख्या से परेशान थे। वे लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाकर इस प्रवृत्ति को रोकना चाहते थे। उन्होंने कानून द्वारा बाल-विवाह को रोकने का प्रयास किया है। पहला कानून सिविल मैरिज एक्ट 1872 था जिसमें विवाह की आयु 14 वर्ष रखी गई थी। जल्दी विवाह-पूर्ति को रोकने के लिए, 1925 में रज़ामंदी की आयु पास की गई ताकि 12 वर्ष से पहले की विवाहपूर्ति को रोका जा सके। 1925 में रज़ामंदी की आयु बढ़ाकर 13 वर्ष कर दी गयी। यह शारदा एक्ट 1929 के पूर्व की पहल थी। शारदा एक्ट लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखने की आज्ञा देता है। इसे 1949 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार पुरुषों के विवाह की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई और संशोधन द्वारा महिलाओं जी 14 वर्ष विवाह की आयु बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई। एक्ट बाल-विवाह की मान्यता के बारे जिकर नहीं करता परन्तु ऐसे कर्म को दंडनीय अपराध मानता है।

माता-पिता, अभिभावकों, वयस्क दुल्हों को तीन वर्ष तक की जेल की सज़ा हो सकती थी!

विभिन्न धर्मों की भी न्यूनतम विवाह की आयु है। स्वतंत्रा के बाद बना कानून हिन्दू मैरिज एक्ट के अनुसार विवाह, दुल्हे की आयु 18 वर्ष और दुल्हन की आयु 15 वर्ष पूरे हो चुकने के बाद ही हो सकता है। पारसी मैरिज एण्ड डाइवोर्स एक्ट, 1936 द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु दुल्हे के लिए 16 वर्ष और दुल्हन के लिए 14 वर्ष होनी जरूरी है। क्रिस्चन मैरिज एक्ट 1872 एक विधिमान्य विवाह के लिये स्त्री 16 वर्ष से अधिक हो और पुरुष 18 वर्ष से अधिक। क्लासिकल मुस्लिम कानून के अनुसार विधिमान्य विवाह के लिये दोनों पक्ष 'प्युबर्टी' की अवस्था पार कर चुके हों। इसका प्रमाण न होने की सूरत में, 'प्युबर्टी' की अवस्था लड़कियों की 15 वर्ष और लड़कों की 19 वर्ष मान ली जाती है।

स्वतंत्रता के बाद बना कानून, विशेष मैरिज एक्ट, 1954 बालिगों के बीच धर्म-निरपेक्ष विवाह का प्रावधान करता है। इसके अनुसार,—इसके लिए न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिये 18 वर्ष नियत की गई है। इस एक्ट द्वारा हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। इस एक्ट की धारा 16 के अनुसार दूसरे कानूनों के तहत हुए विवाह के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण की अनुमति है।

इस एक्ट का बहुत बड़ी संख्या में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लंघन हो रहा है। कुमुदिनी दाडेकर द्वारा किये गये अध्ययन अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 13.79 प्रतिशत लड़कियां 19.14 के आयु ग्रुप में पहले से ही विवाहित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की 63.9 प्रतिशत लड़कियां 15-19 के आयु-ग्रुप में विवाहित हैं। शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशतता बहुत कम है, 4.21, 10-14 आयु ग्रुप में और 36.26, 15-19 आयु-ग्रुप में। कानून को प्रभावी ढंग से

लागू करने में अपराध का अहस्तक्षेप्य स्वरूप एक गम्भीर अड़चन बतलाई जाती है। इसलिये यह सुझाव दिया है कि इस अपराध को हस्तक्षेप्य बनाया जाये और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विवाह-रोकथाम. अफसर नियुक्त किये जायें।

कानून की असफलता का कारण समाज का सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है और अंततः इसका आर्थिक आधार है।

विवाह की छोटी आयु का संबंध भारत में विवाह की लगभग सर्वव्यापकता है। एक तरह से विवाह निजी निर्णय न होकर एक सांस्कृतिक मामला है। चूंकि सभी लड़कियों का विवाह होना ही है, उनके विवाह का विचार जन्म से ही या फिर उनके बचपन से ही शुरू हो जाता है।

फिर, शीघ्र-विवाह 'एंडोगामी' के नियमों का ध्यान रखता है जो यह निर्धारित करता है कि विवाह एक निश्चित आयु-ग्रुप के अन्दर हो और निर्देश, तरजीह और बहिष्कार के नियम (जैसा कि नज़दीकी-रिश्ते के विवाह, गोत्र, वंश, गांव की बिरादरी के बाहर विवाह-संबंध और अपने ही जाति के अन्दर विवाह) भी निर्धारित करता है। लड़की को इस बात की छूट देना कि वह जब चाहे विवाह करे का अर्थ यह भी होगा कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करे जो परम्परागत नियमों के अनुरूप नहीं भी हो। इसीलिये सगाई और शीघ्र-विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है।

यह विचार कि कंवारी लड़की का ही विवाह पूरे रस्म-ओ-रिवाज के साथ हो सकता है, शीघ्र-विवाह के पीछे एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

शीघ्र विवाह के साथ दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह जुड़ा है कि 'प्युबर्टी' की अवस्था शुरू होने को विवाह योग्य आयु माना जाता है और लड़की को प्रसूति के लिये तैयार समझा जाता है।

महिलाओं की पवित्रता और सतीत्व को बचाये रखने की इच्छा का तथ्य ब्राह्मणों और अनुसूचित जातियों में शीघ्र विवाह का एक कारण है। एक पिता जो 'प्युबर्टी' की अवस्था पहुंचने तक अपनी लड़की का विवाह नहीं कर पाता, बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस शताब्दी के दूसरे दशक में चले तेज़ सुधार आन्दोलन भी ब्राह्मणों में शीघ्र विवाह नहीं रोक पाये। 1931 से धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में, विशेष कर मध्य जाति और उच्च जाति में विवाह की आयु में स्पष्ट वृद्धि हुई परन्तु अनुसूचित-जातियों में यह वृद्धि नज़र नहीं आई। अनुसूचित जातियों की लड़कियों के घर के कामकाज, विशेषकर कृषि के काम करने की आवश्यकता के कारण शीघ्र विवाह होते हैं ताकि विवाह से पहले उनकी प्रतिष्ठा सुनिश्चित रहे और वे मातृत्व से बची रहें। कुछ समाज वैज्ञानिकों ने अनुसूचित जातियों में इस रवाज के चलते रहने का संबंध इस बात से बतलाया है कि वे अपनी महिलाओं को उच्च वर्ग के उन लोगों की वासना से जो अपनी आर्थिक शक्ति से उन्हें अधीन किये हुए हैं, बचा पाने में असमर्थ हैं।

आखिर में हम कुछ बातों का जिकर करना चाहेंगे। ट्रेड यूनियनों के प्रयास से मजदूर महिलाओं और पुरुषों की चेतना बढ़ रही है। ट्रेड यूनियनों में महिला पक्ष अपनी विशेष समस्याओं को लेकर काम करता है और साथ ही अपने अधिकारों के बारे चेतना भी बढ़ाता है। इसका परिणाम होता है कि वे समान मेहनताने, न्यूनतम वेतन इत्यादि के लिए संघर्ष करने को आगे बढ़ती हैं।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में, ट्रेड यूनियन में महिलाओं और उनके अधिकारों, परिवार नियोजन इत्यादि पर दो कान्फ्रेंसें की हैं जिसमें उसने नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों, स्वैच्छिक संगठनों को निमंत्रित किया। इसमें शक नहीं कि इन प्रयासों से महिला संबंधी विभिन्न कानूनों को लागू करने के बारे में विचार और त्रुटियों को समझने में सहायता मिलती है। परन्तु अभी तक जो पग उठाए गए हैं वे केवल दिखावे के हैं और समस्या का लेशमात्र भी समाधान नहीं करते। भारत सरकार द्वारा और जबर्दस्त कार्रवाई के किए जाने की बहुत सख्त जरूरत है।

इसलिए हम महसूस करते हैं कि यह प्रयास यहीं समाप्त नहीं होने चाहिए। इन प्रयासों को चलते रहना चाहिए ताकि समान मेहनताना एक्ट के लागू होने के उत्साहजनक परिणाम सामने आयें। भारत सरकार पूरे मन से हर क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उनकी बेबसी को दूर करने के प्रयास करें ताकि उन्हें हर ओर से सामाजिक न्याय मिले। आई.एल.ओ. द्वारा इन मामलों पर और आगे पहल करने से मजदूर महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने में सहायता

मिलेगी सीटू का आई. एल. ओ. से निवेदन है कि वह शीघ्र ही ऐसे पग उठाए ताकि भारत सरकार समान मेहनताने के बारे में आई. एल. ओ. कन्वेंशन का पूरा-पूरा पालन करे ! यद्यपि सीटू ने आज से 15 वर्ष से भी पहले शिकायत की थी, पर भारत सरकार अभी भी वेतन और काम-काज की दशा के बारे में महिलाओं से पूरा न्याय नहीं कर रही । हम आशा करते है कि आई. एल. ओ. इस मामले को गम्भीरता से लेगी और भारत सरकार को प्रभावित करेगी कि वह महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक साधन है और यह वहां के गिने-चुने परिवारों में बंटी हुई है । गैर कृषि क्षेत्र, विशेषकर औद्योगीकरण का यहां कोई खास महत्व नहीं है । दूसरी ओर परम्परागत ग्रामीण उद्योग और शिल्प तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं क्योंकि इन उत्पादनों की मार्किट नहीं के बराबर है और ये बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता करने में असमर्थ हैं । इसलिए ग्रामीण जनता का जीवन पूरी तरह से इन जागीरदारों पर निर्भर है। जागीरदार अपनी आर्थिक शक्ति का लाभ उठाते हुए इस ग्रामीय जनता का, विशेषकर महिलाओं का शोषण करते हैं ।

विभिन्न राज्य सरकारों ने जोतने वालों को भूमि बांटने के लिए कानून बनाये हैं । परन्तु इन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया । परिणाम-स्वरूप समाज का ढांचा वहीं का वहीं खड़ा है । इसने रजामंदी की आयु के एक्ट के प्रभाव को समाप्त कर दिया है । इस एक्ट का पूरा लाभ उठाने के लिए भूमि सुधार को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है क्योंकि इससे जागीरदारों की आर्थिक शक्ति टूट जाएगी और भूमिहीनों की शक्ति बढ़ेगी और उनकी निर्भरता कम होगी ।

गरीब परिवारों में, प्रायः महिलायें ही घर चलाने की जिम्मेदारी निभाती हैं जबकि पुरुष अपना समय और पैसा शराब और जुए में नष्ट करते हैं । घर चलाने के लिए महिलायें हर प्रकार की काम की शर्तें मान लेती हैं और जागीरदारों की वासना का भी शिकार होती हैं । एक बार भूमि सुधार ठीक ढंग से लागू हो जायें तो महिलायें अपने खेतों में काम करके कमाई कर सकती हैं । तब वे जागीरदारों द्वारा लगाई गई शर्तों को मानने के लिए मजबूर नहीं होंगी । फिर वे कभी जागीरदारों की वासना का शिकार नहीं होंगी । भूमि पर संयुक्त हक़ से परिवार में उनका मान बढ़ेगा । परिवार को महिलाओं के आर्थिक योगदान से माता-पिता की, आर्थिक बोझ कम करने के लिए, उनके शीघ्र विवाह करने की इच्छा कम हो जायेगी ।

बुजुर्ग-संस्कृति महिलाओं की पवित्रता और सतीत्व इसलिए चाहती है कि उनके बच्चों के माता-पिता के बारे में कोई शक न रहे । यह बात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जड़ पकड़े हुए हैं जहां उत्पादन के सामान्तवादी संबंध अब भी कायम हैं । भूमि सुधार न केवल इन उत्पादन के सामान्तवादी संबंधों को तोड़ते हैं बल्कि महिलाओं के बारे में मौजूदा खड़े किए गए अवरोधों और रुकावटों के सामन्तवादी मूल्यों को भी उखाड़ फेंकते हैं । इससे उन पर लगे प्रतिबंध कम होते हैं और उनकी गतिविधि बढ़ती है । माता-पिता को बचपन से ही अपनी लड़कियों के विवाह की चिन्ता नहीं करनी पड़ती ।

भूमि सुधारों से गांव के लोगों की खरीदने की शक्ति में वृद्धि होती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र के विस्तार के रास्ते खुलते हैं । फिर इससे महिलाओं और पुरुषों के रोजगार की संभावनायें हैं । गैर कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिति के सुधार और रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से माता-पिता को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने का जोश पैदा होगा । यहां यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार द्वारा सभी गाँवों में स्कूल खोले जाएं और 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को संवैधानिक बनाया जाये जिससे विवाह की आयु के कानून को लागू करने में सहायता मिलेगी ।

विशेष विवाह एक्ट समेत सभी कानून लड़कों की तुलना में लड़कियों की विवाह की आयु कम रखने का सुझाव देते हैं । लड़कों की आयु से इसे कम निर्धारित किया जाता है । यह शायद इसलिए कि लड़कियों के शरीर लड़कों की तुलना में पहले जवान हो जाते हैं। इसमें शक नहीं कि प्रजनन विवाह का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इससे मानव जाति चलती रहती है । परन्तु एक जैसी सूझ-बूझ होना, एक-दूसरे को जानना और एक जैसी रुचि होना भी अच्छे संबंध के लिए और बेहतर मानव-जाति के जनन के लिए, उतना ही जरूरी है । फिर 14 वर्ष की लड़की को वैसे भी तातृत्व का बोझ उठाना कठिन

[पृष्ठ 24 का शेष]

समान मेहनताने के बारे में आई. एल. ओ. की कन्वेंशन पर सीटू की टिप्पणी

हमें यह जान कर खुशी हुई है कि 1976 में उचित जानकारी और प्रमाणों के साथ दी गई सीटू की शिकायत पर समान मेहनताना-एक्ट, 1976 के वास्तविक प्रयोग और प्रवर्तन में ढीलेपन इत्यादि के बारे कन्वेंशन में आई. एल. ओ. की समिति की मीटिंग में विचार-विमर्श हुआ। सचमुच यह दुख की बात है कि समान मेहनताना एक्ट 1976 के पास हो जाने के बावजूद अभी भी इसमें बहुत कमियां और त्रुटियां हैं और यदि भारत सरकार इसे लागू करने के लिए ठोस पग उठाए तो यह महिला मजदूरों के हित में जा सकता है।

हम यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत सरकार ने समान मेहनताना एक्ट के बारे मजदूरों, कर्मचारियों, संगठित और असंगठित मजदूरों दोनों ही में जागृति पैदा करने के लिए और इसे लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जैसा कि सरकार अपनी टिप्पणी में दावा करती है! यह इसी बात से सिद्ध होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत कई उद्योगों में यह लागू नहीं हो सका।

भारत द्वारा आई.एल.ओ. को दी गई जानकारी के बारे में सीटू को कुछ पता नहीं कि केन्द्र द्वारा ऐसी योजना आयोजित की गई है जिस द्वारा चार प्रदेशों में आरम्भिक तौर पर बाल व महिला श्रम के बारे में इस कानून को लागू करने के लिए श्रम निरीक्षक व उसके सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। यदि इसे गम्भीरता से लिया जाये तो समान मेहनताना एक्ट को लागू करने में किसी हद तक मदद मिल सकती है। इस आरंभिक कार्य के दस्तावेज ट्रेड यूनियनों को उपलब्ध कराये जायें ताकि इस योजना को लागू ररने में सहायता मिले।

सीटू एक बार फिर दुहराती है जो इसने कुछ देर पहले कहा था कि सरकार और इसकी प्रवर्तन-व्यवस्था इस एक्ट को लागू करने के लिए गम्भीर नहीं है और केवल अफसरों द्वारा लिखित रिपोर्टों पर ही विश्वास कर लेती है। नहीं तो यह कैसे हो सकता है कि बीड़ी उद्योग, निर्माण उद्योग, वस्त्र उद्योग, कृषि उद्योग और दूसरे उद्योगों में लगी मजदूर महिलाओं को पुरुष मजदूरों की तुलना में, अब भी कम वेतन मिलता है। एक काम के लिए या जैसे काम के लिए समान मेहनताने की अदायेगी के बारे सरकार का कहना है कि विकास की मौजूदा स्थिति में इसे लागू करना शायद सम्भव नहीं और समान मेहनताना एक्ट के संशोधित रूप को प्रभावी ढंग से लागू करना अधिक महत्वपूर्ण और जरूरी है। इससे मुख्यतः यही पता लगता है कि भारत सरकार समान मेहनताने की धारणा को पूरी तरह से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई सकारात्मक पग उठाने को तैयार नहीं। यह उस समय महिला मजदूरों को समान वेतन से वंचित रखने के लिए नियोक्ताओं का कहना था कि महिला के काम और पुरुष के काम में गुण-संबंधी अंतर है इसलिए समान वेतन का प्रश्न ही नहीं उठता। 1977 में हमारी श्रम मंत्री में भेंट के दौरान, इस मुद्दे को स्पष्ट किया गया था कि एक ही जगह पुरुषों व महिलाओं दोनों के काम करने में कोई भेदभाव न बरता जाए। उस समय हमने अपने नोट में कहा था कि समान वेतन से बचने के लिव किस प्रकार कर्नाटक में बागान-मालिकों ने समस्त महिला मजदूरों को एक ही श्रेणी में रखा। वास्तव में, बीड़ी या निर्माण का काम महिलाओं या पुरुषों का एक ही है या एक जैसा है। इसके बावजूद बिहार में, मध्य प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में महिलाओं को कम वेतन मिलता है। निर्माण उद्योग के महिला और पुरुष मजदूरों, जो हैड लोड वर्कर का काम करते हैं या कोयला महिला मजदूरों जो वेगन लोड करती हैं, में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता। प्रायः उजरती दर प्रणाली का प्रयोग महिला मजदूरों को समान मेहनताने से वंचित रखने के लिए किया जाता है। इसलिए सरकार का यह तर्क कि समान मूल्य के किए गये समान काम के लिए समान वेतन, एक उच्च धारणा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तर्क के आधार पर समान मेहनताने के उसूल को लागू होने से रोकने की कोशिश की जा रही है।

आई.एल.ओ. के दस्तावेज ने कार्य स्थल पर निरीक्षकों के किए गए निरीक्षणों की विस्तृत जानकारी हासिल करने

के बारे संगत मुद्दा उठाया है। हमें कोई जानकारी नहीं है कि निरीक्षकों ने समान मेहनताने के लागू होने या न होने के बारे जानने के लिए कितनी बार निरीक्षण किया है। हमने पिछले नोट में अपने इस अनुभव की ओर ध्यान दिलाया है कि निरीक्षण-व्यवस्था मालिकों के साथ मिली हुई है और भ्रष्ट है। तब से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। महिला मजदूर समान वेतन पाने के अधिकार खो रही हैं। हम अब भी यही कहते हैं कि कार्यस्थलों में रिकार्ड ठीक ढंग से नहीं रखे जाते। यह सीटू द्वारा की गई विशेष आलोचना विभिन्न इण्डियन लेबर जर्नल्स में छपे लेखों से भी प्रमाणित होती है जिसका वर्णन हम अपने पिछले नोट में कर चुके हैं! स्थिति तबसे बदली नहीं है।

बागान में प्रबंधन और मजदूर यूनियन द्विपक्षीय समझौते द्वारा वेतन नियत करने के बारे जो मुद्दा आई एल ओ के नोट में उठाया गया है, सही है। असम में महिला मजदूरों का वेतन और भी कम है। हम इस बात की सराहना करते हैं कि आई एल ओ समिति ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह देखे कि ऐसे समझौतों में समान मेहनताना एक्ट का उलंघन न हो!

(पृष्ठ 22 का शेष)

है। शीघ्र विवाह से शिशुओं और माताओं की मृत्युदर बढ़ती है और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए माताओं-पिताओं में शीघ्र विवाह की बुराइयों और मानसिक प्रौढ़ता की आवश्यकता के बारे में जागृति पैदा करनी चाहिए। इससे माताओं-पिताओं पर लड़कियों के कम आयु में विवाह करने पर अंकुश लगेगा।

जैसा कि विशेष-विवाह एक्ट में दिया गया है, लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी जानी चाहिए ताकि लड़कियां अपने जीवन साथी चुनने के लिए पूरी सूझ-बूझ से निर्णय ले सकें। विवाहों के पंजीकरण का अनिवार्य होना भी जरूरी है ताकि इस बारे में कानून के प्रभावी ढग से लागू होने पर चौकसी रखी जा सके! बाल-विवाह की रोक के एक्ट के अधीन सभी अपराध हस्तक्षेप्य होने चाहिए और इसको लागू करने के लिए विशेष अफ़सर नियुक्त किए जाने चाहिएं।

भूमि सुधारों, शिक्षा के अवसरों और रोजगार के रास्तों द्वारा 'एडोगामी' विवाह पर गहरी चोट लगेगी और इससे लड़कियों को स्वयं अपने साथी चुनने के अवसर प्राप्त होंगे जिसका अर्थ है विवाह की आयु में वृद्धि।

आज, एक्ट बनने के 42 वर्ष पश्चात् भी इस विवाह की आयु के एक्ट का लाभ लड़कियों को नहीं मिल रहा है। सामाजिक परिवर्तन का हथियार होने के बावजूद कानून इच्छित परिवर्तन नहीं ला सकता जब तक कि इसके साथ आर्थिक परिवर्तन न लाये जायें।

10 सितम्बर को भोपाल में

कामकाजी महिलाओं की कन्वेन्शन

प्रत्येक जिले से दो-दो प्रतिनिधि जरूर भेज दें!